"That the Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947, be taken into consideration."

The Motion was adopted.

MR. SPEAKER : The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is :

"That clauses 2 to 7 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VEERENDRA PATIL : I beg to move :

"That the Bill be passed".

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The Motion was adopted.

12.59 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

———

The Lok Sabha re-assembled, after Lunch, at six minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI R.S. SPARROW *in the Chair*]

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : I beg to move :

"That the Bill further to amend the Electricity (Supply) Act, 1948, be taken into consideration."

Section 29 (1) of the Electricity (Supply) Act, 1948 as it stands at present, provides that "Every scheme estimated to involve a capital expenditure exceeding one crore of rupees shall, as soon as may be after preparation, be submitted to the Authority for its clearance." The Authority, on receipt of such schemes, examines from techno-economic angles before it accords its concurrence.

In the existing procedure, schemes costing upto Rs. 1 crore are not referred to the CEA ; these are directly included by the concerned States/Undertakings in their plan proposals submitted to the Planning Commission. Planning Commission considers all such schemes for investment approval, keeping resource position in view.

We feel that at present, according to this procedure schemes costing about Rs. 1 crore are subjected to a detailed examination from all angles by the Central Electricity Authority which is a time-consuming process. It is only after the CEA has finally cleared a scheme that the Planning Commission considers it for financing from Plan funds. Schemes costing less than Rs. 1 crore are at present not subjected to detailed scrutiny provided for larger projects, but these have to be included in the Plan and accepted by the Planning Commission for the purpose of plan financing.

Since the financial limit of Rs. 1 crore in Section 29 (1) of the Act was laid down, there has been considerable escalation in the costs of inputs to power projects, with the result that even comparatively small schemes are now not free from the requirements of detailed scrutiny provided in the Act. It had been represented by various State Governments/State Electricity Boards that this limit should be enhanced. In view of the cost escalations, it has become necessary to suitably enhance this limit, so that State Governments can implement relatively small schemes without obligation of having to go through the detailed procedure of obtaining prior concurrence of CEA, which was originally meant for larger projects.

After the proposed amendment has been enacted, small schemes costing upto Rs. 5 crores would not require prior concurrence

[Shri Arif Mohammad Khan]

of the Central Electricity Authority, and it would not be necessary to go through the detailed scrutiny from techno-economic angles provided in the Act.

It would be possible for State Governments/ State Electricity Boards to clear these schemes on their own. However, it would still be necessary for these schemes to be included in the plan before these can be implemented, and, therefore, Planning Commission's concurrence from the investment angle would be required, keeping resource position in view.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) अमेंडमेंट बिल 1984, जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। वास्तव मे यह बात सही हैं कि हम कोई भी योजना बनाएं वह एक करोड़ से ऊपर की हो और उसके लिए बार-बार सेन्ट्रल एलेक्ट्रीसिटी एथारिटी की पर्मीशन लेते रहें तो उसमें बहुत समय बीत जाता है और उसके कारण उस योजना के कार्यान्वियन में बहुत विलम्ब होता है। इसलिए यह जो सोचा गया है वह बहुत ही उचित है बल्कि मैं समझता हूं बहुत पहले ही यह निर्णय ले लिया जाना चाहिए था। फिर भी मैं इस प्राविजन का स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, आज देश में जो एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड काम कर रहे हैं वह अधिकांश सिक हैं, अधिकांश घाटे में चल रहे हैं। उसके पीछे भी कुछ मुख्य कारण हैं। ऐसी बात नहीं है कि वही उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनसे घाटा होता है। मिसाल के तौर पर हमारे क्षेत्र में, बाड़मेर जैसलमेर में यदि लाइनों का एक्सपैंशन करना पड़ता है, ट्रांसमीशन लाइन बनानी पड़ती है तो क्षेत्र बहुत लम्बा-चौड़ा होने के कारण उसमें कास्ट बहुत आती है। लेकिन हम चाहते हैं कि उस प्रकार के क्षेत्रों का भी विकास किया जाए। मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के क्षेत्रों में यदि पावर हाउसेज भी कायम किए जा सकते हैं तो उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हमारे राजस्थान में आज दूसरे प्रान्तों से पावर उपलब्ध की जा रही है। हम चाहते हैं कि उन क्षेत्रों में ही पावर हाउस बनाने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। साथ ही यदि स्टेट गवर्नमेंट्स इस प्रकार की योजनाओं को चलाने में सक्षम न हों तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्वयं उन योजनाओं को चलाने की बात सोचे। बीकानेर में हम पलाना लिगनाइट योजना के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन ने उसको अभी तक क्लियर नहीं किया है जिसका कारण यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट को उस योजना में जितना कन्ट्रीब्यूट करना चाहिए उतना वह नहीं कर सकती हैं और इसी कारण प्लानिंग कमीशन ने उस योजना को क्लियर नहीं किया है।

इसी प्रकार से बाड़मेर में एक स्थान कपूरडी पर ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है, वहां पर 6 करोड़ मी० टन लिगनाइट उपलब्ध हैं परन्तु इतनी बड़ी योजना को चलाना स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी के बाहर की बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार की जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट्स चला नहीं सकती है, उनको सेन्ट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेना चाहिए। बैकवर्ड एरियाज समझकर ऐसी योजनाएं सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ताकि उन क्षेत्रों का भी उत्थान हो सके। इस सम्बन्ध में विशेष तौर से केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। आज की परिस्थितियों को देखते हुए देश का विकास नहीं हो सकता है, यदि हमारे पास ऊर्जा की शक्ति नहीं है। पावर की शक्ति न होने से कोई भी प्रोवीन्स तरक्की नहीं कर सकता है। राजस्थान ने 1983-84 में एक करोड़ मीट्रिक टन अनाज पैदा किया है, जो कि एक रिकार्ड उत्पादन है। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि यदि हमारे पास बिजली होती तो हम इससे भी अधिक उत्पादन कर सकते थे। हम लोग डैजर्ट एरियाज में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। हमारे यहां कट्स बहुत होते हैं। हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप बिजली नहीं मिलती है। हमारे यहां दो एटामिक इनर्जी प्लान्ट्स ठीक से नहीं चल

रहे हैं। आप यह कह सकते हैं कि यह विषय आपका नहीं है, आदरणीय प्रधान मंत्री के अधीन है। आज स्थिति यह है कि एक प्लान्ट करीब डेढ़ साल से बन्द पड़ा है। आप दोनों मंत्रालयों में को-आर्डिनेशन करके, उसको विजिट करके, मालूम करिए कि वह एटामिक प्लान्ट डेढ़-डेढ़ साल से क्यों बन्द रहता हैं। इसी प्रकार की सैकेंड प्लान्ट की भी हालत है। ये क्यों बन्द रहते हैं, यह सोचने की आवश्यकता है। इस वैज्ञानिक युग में हम लोग इस प्रकार की स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

जहां तक आर०ई०सी० का सम्बन्ध है, मेरे क्षेत्र में ये ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं। सन् 1979 में आर०ई०सी० मंजूर हुई थी, पांच साल बीत चुके हैं, लेकिन 30 फीसदी भी परफारमेंस नहीं हुई है। इस पर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को जानकारी हासिल करनी चाहिए कि वाकयी उन साधनों में ठीक ढंग से काम हो रहा है या नहीं। बाड़मेर जिले में दो पंचायत समितियां—शिव पंचायत समिति और बाड़मेर पंचायत समिति—और इसी प्रकार जैसलमेर में भी दो पंचायत समितियां हैं, जहां पर आर०ई०सी० सैंक्शन नहीं हुई है। इन स्कीमों के बारे में जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए और कदम उठाना चाहिए।

सातवीं पचवर्षीय योजना में सोचा जा रहा है कि सब लोगों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, कहीं ऐसा न हो कि आर०ई०सी० के सैंक्शन न होने के कारण कहीं ये क्षेत्र पीछे रह जायें। इस स्कीम में तीव्रगति न होने से हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे यहां इस प्रकार की भी स्थिति हैं कि हमें सतपुरा से अपना शेयर प्राप्त करने में असुविधा हो रही है। मध्य प्रदेश थर्मल पावर प्लान्ट में हमारा हिस्सा है, वह हिस्सा भी हमें पूरा नहीं मिल रहा है। कोशिश करने पर कुछ हिस्सा मिला है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कुछ प्रगति नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें योग दें, ताकि हमारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके।

अभी तीन-चार दिन पहले नार्थ-ग्रिड में भी इसी प्रकार की स्थिति हो गई थी। किसी खराबी के कारण राजस्थान के अन्दर बिजली बन्द हो गई। इस प्रकार की स्थिति यदि दिल्ली के अन्दर पैदा हो जाए तो इसके बारे में जांच करनी चाहिए कि कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है और उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। इस जरा सी लापरवाही के कारण राष्ट्र का कितना नुकसान होता है, इसका अन्दाजा शायद उन लोगों को नहीं है। इसके कारण कन्ज्यूमर्स को नुकसान होता है, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है, करोड़ों रुपयों की हानि होती हैं। आपको इन सब पर विचार करना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिएं कि इस प्रकार की स्थिति नार्थ ग्रिड में कभी न हो। इस प्रकार की स्थिति के लिए अपने को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो ट्रांस्मीशन लासेज होते हैं उनको रोकने के लिए आपने अब तक क्या कार्यवाही की है। हमारे यहां राजस्थान में 30 प्रतिशत के लगभग ट्रांस्मीशन-लास होता है, इस तरह से दूसरे राज्यों में भी ट्रांस्मीशन लासेज होते हैं—इन पर काबू पाने की कोशिश की जानी चाहिए। बिजली की जो पिलफ्रेज होती है, इसमें बहुत सी शक्तियां काम करती है। इन्जीनियर्स का सहयोग न हो तो पिलफ्रेज नहीं हो सकती। जो इन्जीनियर्स इस तरह का काम करके इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार हो रही है, हमें उसमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचा सकें ताकि इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन ठीक से चलता रहे। खास तौर से रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां पीने के पानी की भी समस्या है, वह बिजली पर निर्भर करती है। वर्क्स तथा हाउसिंग मिनिस्ट्री की डायरेक्शन्ज हैं कि जो स्कीमें डीजल इन्जिन से चलती हैं उनको बिजली द्वारा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वे बहुत कास्टली स्कीमें होती हैं। लेकिन जब बिजली की सर्टेन्टी न हो तब उन स्कीमों को कैसे चलाया

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

जा सकता है। हर साल बिजली के अभाव के कारण पीने के पानी का संकट बना रहता है। करोड़ों रुपया पीने के पानी की स्कीमों के लिए मन्जूर किया गया, लेकिन वे योजनाएं यदि ठीक से न चलें, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी बिजली न मिलने के कारण पानी की समस्या बनी रहे तो उन स्कीमों का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए बिजली मिलने के काम में स्टेबिलिटी आनी चाहिए—इस तरह की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना में भी हमने सभी गांवों को पीने का पानी पहुंचाने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्र इस सुविधा से वंचित रह गए। ये पहले भी पिछड़े क्षेत्र कहलाते थे और आज भी पिछड़े क्षेत्र बने हुए हैं। ये सारे हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बार्डर के क्षेत्र हैं, इसलिए इनका बहुत ज्यादा महत्व है। हमें वहां के लोगों को मोरेल बूस्ट करने की आवश्यकता है, इसलिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा इस योजना में एनर्जी का जो प्लान बने उसमें उनका विशेष ध्यान रखा जाय।

इन शब्दों के साथ जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका तहे-दिल से समर्थन करता हूं।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं, आप ने इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। जहां तक माननीय मंत्री जी ने इस बिल में जो संशोधन चाहा है, वह एक बहुत छोटा सा संशोधन है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन पिछली तारीख 4 को बिजली मंत्रालय की कन्सलटेटिव कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें मैंने एक प्रपोजल मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत की थी। हम सब जानते हैं—जब तक देश में बिजली का विकास नहीं होगा, तब तक देश की अर्थ-व्यवस्था में चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या उद्योग-धन्धे हों, सुधार नहीं हो सकता। देश की वर्तमान परिस्थिति को देख कर, खास कर विभिन्न राज्यों के राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रमों की उपलब्धियों को देखकर मैंने उस बैठक में एक प्रस्ताव रखा कि सारे देश की बिजली सैन्ट्रल सैक्टर में होनी चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो संविधान में भी इस सम्बन्ध में संशोधन किया जाय। आप को यह जानकर खुशी होगी कि सभी लोगों ने सर्व-सम्पत्ति से मेरे उस प्रस्ताव को पास किया। आदरणीय मंत्री जी से निवेदन किया कि वह इसको कैबिनेट में ले जाय और उसके बाद हम दूसरे राज्यों को भी इसके लिये राजी करेंगे।

सभापति महोदय, 1980 के बाद आप देखें, जो जर्जरित व्यवस्था जनता रिजीम से हमें मिली थी, उस में सभी की-सैक्टर्स के कार्यक्रमों चाहे वह बिजली हो, कोयला हो, सीमेंट हो, लोहा हो, सभी क्षेत्रों में हमने प्रगति की है और इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। उन्होंने लगातार प्रयासों से देश के जैनरेशन को बढ़ाने की व्यवस्था की है। छटी पंचवर्षीय योजना में 19 हजार मेगावाट बिजली बढ़ाने का लक्ष्य था लेकिन उतना हम नहीं कर पाये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सेन्टर से तमाम डाइरेक्शन्स और गाइडलाइन्स के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट्स ने आवश्यकतानुसार रिसोर्सेज पैदा नहीं की और अब हम केवल 14,500 मैगावाट बिजली का उत्पादन करने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यह उत्पादन हो जाएगा। केन्द्र की जो गाइडलाइन्स हैं, उनको स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मानने को तैयार नहीं हैं। अगर राष्ट्र को आगे ले जाना है, तो क्यों नहीं सर्वसम्मति से जो सलाहकार समिति का निर्णय है, उसको मान लिया जाए। मेरा प्रथम सुझाव तो यही है कि निश्चित तौर पर आज समय की आवश्यकता है कि बिजली को केन्द्रीय सूची में ले लेना चाहिए और पूरा अधिकार सैन्ट्रल गवर्नमेंट का इस पर हो जाना चाहिए क्योंकि सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी आथेरिटी जब विभिन्न राज्यों को सलाह-मशिवरा देती है, गाइडलाइन देती है, तो बहुत से राज्य उस को मानने को तैयार नहीं होते हैं जैसे कि मैं वैस्ट बंगाल की बात कह सकता हूं। और भी ऐसे बहुत से राज्य हैं जोकि उसकी डाइरेक्शन को नहीं मानते हैं।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि एन०टी० पी०सी० द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि एक सिस्टम इवोल्व हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वह शत-प्रति-शत रिजल्ट देने की स्थिति में है और जो प्रोजेक्ट्स जैनेरेशन नहीं कर रहे हैं, वे भी सारे के सारे शैड्यूल के अन्दर हैं। इस तरह से जो सिस्टम इवोल्व हुआ है, वह एक अच्छा सिस्टम है और सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी आथेरिटी ने कार्यक्रम दिये हैं, वे अच्छे हैं लेकिन विभिन्न राज्यों के हालात क्या हैं। वे इस की बात को नहीं मानते हैं और जैसाकि श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने कहा है कि हम ने इस दिशा में बहुत प्रयास किया है लेकिन अभी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति में केवल 8 प्रतिशत की कमी है। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केन्द्र की बात को मान ले और जो यूटीलाइजेशन कैपेसिटी है, उसको बढ़ा लें, तो निश्चित तौर पर इस देश में बिजली की कमी नहीं रह जाएगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात आई। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने जो कार्यक्रम बनाया है और प्लानिंग कमीशन को भेजा है, वह 30 हजार मैगावाट बिजली पैदा करने का है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 30 हजार मैगावाट का जैनेरेशन तभी हो सकेगा जब आप विभिन्न राज्यों को एग्री करा लें। उन से जब इस बारे में कहा जाता है तो स्वायत्तता की बात आ जाती है। हर काम के लिए केन्द्र की जिम्मेदारी बताई जाती हैं, उद्योगों की तरक्की के लिए केन्द्र की जिम्मेदारी बताई जाती है। हमने इस दिशा में तरक्की भी की है और कृषि का उत्पादन काफी बढ़ा है। कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। वे और उनका मंत्रालय बधाई का पात्र है कि इन्होंने 15 करोड़ टन देश में गल्ला पैदा किया हैं। इस के लिए देश के किसानों को भी बधाई है और बिजली विभाग को भी बधाई है। इस के अलावा एग्रीकल्चर कौमोडीटीज के रिमूनेरेटिव प्राइसेज किसानों को मिले और इस से उनका उत्साह बढ़ा लेकिन मैं एक चीज यह कहना चाहता हूं कि मैं अभी गांवों का दौरा करके आया हूं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किसानों में बड़ा रोष है। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलती है। और जो निर्धारित रोस्टर होता है, उसके अनुसार बिजली नहीं मिलती। नतीजा यह है कि किसान असन्तुष्ट हो रहे हैं और खेतीबाड़ी पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस लिए मैं चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए।

आप ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बनाया है लेकिन कारपोरेशन ने विभिन्न राज्यों में सही-सही वितरण नहीं किया। कुछ राज्यों में तो जो पैसा इस काम के लिए दिया गया, उस को दूसरे कामों में लगा दिया और जहां कहीं काम हुआ भी, तो जो टारगेट्स थे, उनको वे पूरा नहीं कर पाए और इस तरह से बहुत से गांवों में बिजली नहीं पहुंची। अभी माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में गये थे। मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि हर प्वाइंट पर उन्होंने डिटैल में बात की लेकिन आज जरूरत इस बात की सारे पहलुओं पर विचार किया जाए। मेरा कहना यह है कि आप का जो मानीटरिंग करने वाला सेल है, उसमें एक अधिकारी सी०ई०ए० का रहे और जैसे स्टील आथेरिटी में है, उस को पैसे का पूरा अधिकार है, उसी तरह से यहां पर भी कुछ अधिकार उनके पास रहना चाहिए। यह ठीक है कि आप ने 5 करोड़ रु० कर दिया क्योंकि प्राइसेज का एग्केलेशन हुआ है। सी०ई०ए० को आप पूरा अधिकार दिलाएं तभी देश में बिजली का विकास हो सकता है। समय की आवश्यकता है कि उसको आप कुछ आर्थिक अधिकार दें।

जो राज्य अच्छा काम करते हैं उनके साथ हमें निश्चित तौर से उसी तरह का व्यवहार करना पड़ेगा, उनको अधिक मौका देना पड़ेगा। जो राज्य अच्छा काम नहीं करते हैं उन्हें हमें डांट-फटकार भी देनी पड़ेगी।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कई हाइडल प्रोजेक्ट्स को क्लीयर कर दिया गया हैं लेकिन वे स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे एरिया में एक एनपारा प्रोजेक्ट है जो कि देश का नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उसकी 3,130 मेगावाट

[श्री राम प्यारे पनिका]

की क्षमता होगी। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसको आप जल्दी से सैंक्शन करवाइये क्योंकि स्टेट ने उस पर काफी फाइनेंस खर्च कर दिये हैं। वह प्रोजेक्ट अभी तक क्लीयर नहीं हुआ है।

हमारे एनर्जी मंत्रालय में कोयला और बिजली दोनों का काम आता है। लेकिन कोयले और बिजली इन दोनों के काम में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। जो बिजली के प्रोजेक्ट कोयले से लिंक्ड हैं उनको तो आपको तुरन्त चालू करवाना चाहिए। कोयले से लिंक्ड एक खड़िया प्रोजेक्ट है, वह अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। उसका आप सैंक्शन करवाइये। आपस में सामंजस्य न होने के कारण भी बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत इसलिए भी खराब है कि हमारे कोयले में जो ऐश कंटेन्ट है वह 40 परसेंट के आस-पास है। जिसके कारण हमारे बाइलर, टरबाईन खराब हो जाते हैं। हमारी जो मशीनरी पुरानी पड़ गई हैं उनको रिनोवेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस इकट्ठा नहीं कर पा रही है। मुझे खुशी है कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने इस मद में कुछ राशि दी है। लेकिन यह राशि काफी नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की अपनी सीमाएं है। उनमें कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए आपको पैसा देना चाहिए।

स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स से सब्सीडाईज्ड रेट्स पर जो बिजली ली जाती है, उसका भी पैसा सैंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। स्टेट के म्युनिसिपल बोर्ड्स और जल-निगम का करोड़ों रुपया बकाया है। इसको भी आपको देखना चाहिए।

आज जरूरत इस बात की भी है कि हमारी ट्रांसमीशन लाइनों से बिजली की बहुत चोरी होती है। अकेले आगरे जिले में 48 परसेंट बिजली की चोरी होती है। इसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले कहते हैं कि स्टेट की जो होम मिनिस्ट्री है उसका उन्हें सहयोग नहीं मिल पाता है। मंत्री जी को इस चीज को भी देखना चाहिए।

मैं यह मानता हूं और इसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने बहुत काम किये हैं। लेकिन कुछ डे-टु-डे की प्राब्लम हैं उनको भी आप दूर करने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और दूसरी जगहों के वेतन-मानों के बारे में एकरूपता नहीं है। आपने एन०टी०पी०सी० और दामोदर वैली कारपोरेशन में वेतनमान तय किये हैं। उनको आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में भी क्यों नहीं लागू करते हैं? अगर आप उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को भी वही वेतनमान देंगे तो उनमें संतोष होगा और संतोष होने के बाद वे स्ट्राइक वगैरह की बात करेंगे तो उनको दबाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में जो टी०ए०, डी०ए० मिल रहे हैं वे 1974 के रूल्स के मुताबिक मिल रहे हैं। हमारे जैसे कार्यकर्त्ताओं और जनता के मांग करने के बावजूद उनमें सुधार नहीं हुआ है। आप इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को निदेश दीजिए। आप उत्तर प्रदेश में सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का एक बिजली निगम बना दीजिए। इससे इनमें एकरूपता आयेगी। जब तक इनके काम-काज में एकरूपता नहीं आयेगी तब तक निश्चित तौर से विकास नहीं होगा। जब तक देश में बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। इसके लिए आपको आर्थिक और वित्तीय कठिनाइयों को समय रहते दूर करना होगा।

आप सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी आथेरिटी को केवल एडवाइजरी बाडी ही बना कर मत रखिये। इसे आप पावर दीजिए। चाहे वह सेल की तरह की पावर्स हों। यह बहुत जरूरी है।

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एन०टी०पी०सी० को 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसलिए कम करना पड़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास उसे लेने की क्षमता नहीं थी। उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक तरफ तो देश में बिजली की जरूरत है और दूसरी तरफ हमें बिजली का उत्पादन घटाना पड़ रहा है और इसलिए घटाना पड़ रहा हैं कि हम इन्फ्रास्ट्रक्चर देश में क्रियेट नहीं कर पाये हैं। आज आप बिहार

को बिजली देना चाहें तो भी वह ऐसी हालत में नहीं है कि वह उसे ले सके क्योंकि उसके पास पर्याप्त ट्रांसमीशन लाइन नहीं हैं। इसलिए ट्रांसमीशन लाइन बनाना समय की आवश्यकता है।

आज जरूरत इस बात की है कि जैसे-जैसे आप बिजली का उत्पादन करें, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था के लिए ट्रांसमीशन लाइन बनाए। नेशनल ग्रीड की कल्पना को हमें आगे लेकर चलना है ताकि बिजली की कठिनाई दूर हो सके और कृषि तथा उद्योग धन्धों को आगे बढ़ा सकें। मैं इस बिल का इन चन्द शब्दों के साथ पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय सभापति जी, यह जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अमेंडमेंट बिल डिसकस हो रहा है, इसका मैं समर्थन करता हूं। इस बिल के लिए मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। श्री वृद्धि चन्द्र जैन साहब ने जो बातें कहीं कि इस बिल को बहुत पहले लाना चाहिए था, मैं उसका समर्थन करता हूं। बहरहाल, आप इसको ले आए हैं, वह बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं इस बिल का सबसे ज्यादा फायदा पहाड़ी इलाकों को होगा। पहाड़ी क्षेत्र में जो रिमोट एरियाज हैं या जो एनएक्सेसिबल (inaccessible) है वहां के प्रोजेक्ट इस वजह से रुके हुए हैं क्योंकि उनकी कास्ट एक करोड़ से ज्यादा बैठती है। लेकिन अब आपने पांच करोड़ की लिमिट कर दी है, इससे बहुत फायदा होगा। अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए सी० इ०ए० के पास भेजना पड़ता है और उसके बाद डिजाइन वगैरह के अप्रूवल में काफी समय लग जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स ऐसे ही पड़े रहते हैं। माइक्रो और मिनि हाइडल प्रोजेक्ट के लिए मेरे क्षेत्र में काफी कैपेसिटी है। कुछ छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स सी०इ०ए० के पास हैं जो कि अभी तक क्लियर (clear) नहीं हुए और इम्पलीमेन्ट नहीं हो पाये हैं। मिसाल के तौर पर आपको मालूम ही है कि मेरे क्षेत्र लेह में एक स्तकना प्रोजेक्ट है। वह ढाई करोड़ की योजना थी, लेकिन बढ़ते-बढ़ते 18 करोड़ तक पहुंच गई है। अभी यह पता नहीं है कि वह कब बनेगा? मेरे कहने का मतलब यह है कि कास्ट एस्कालेशन इस कदर बढ़ गई है कि जिसकी वजह से स्कीम में कई बार रुकावट पड़ी है। मेरे क्षेत्र में बहुत से प्रोजेक्ट हैं, जैसे—दुमखार प्रोजेक्ट, जान्शकार में हफ्ता प्रोजेक्ट, कारगिल में शुरू प्रोजेक्ट और पुगा जियोथर्मल प्रोजेक्ट जो कि इन्वेस्टीगेशन स्टेज में हैं। मैं समझता हूं एक या दो करोड़ तक जो प्रोजेक्ट बन सकते हैं, उनमें काफी फायदा होगा। बड़े प्रोजेक्ट की कैपेसिटी हमारे पास बहुत है, जिससे हजारों मैगावाट बिजली जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि बड़ा एरिया होने की वजह से ट्रांसमिशन लाइन पर खर्चा बहुत ज्यादा आता है। कई प्रोजैक्टस में ट्रांसमीशन लाइन्स पर बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है और फिर पावर के यूटिलाइजेशन की भी प्राबलम होती है। इसके अलावा उस एरिया में पौपुलेशन भी बहुत कम है, इसलिए मेरी कांसटीटुऐंसी में छोटे-छोटे प्रोजैक्टस बन जाने पर काफी फायदा होने की सम्भावना है। जिन प्रोजैक्टस के नाम मैंने आपको अभी बताये, उम्मीद है आप उन पर भी तवज्जह देंगे। हाल ही में मेरी स्टेट में जो चेन्जेज आई है, उसको हम प्रदेश की तरक्की की दिशा में उठा सही कदम मानते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी पिछली सरकार ने जितने छोटे-छोटे प्रोजैक्टस के काम को दबाकर रखा हुआ, उन सब पर मौजूदा सरकार ध्यान देगी। हालांकि वह चेन्जेज हम नहीं लाये हैं, उधर के लोग बहुत शोर कर रहे थे और इसी प्रश्न पर वे हाऊस से बाहर निकल भी गए हैं, लेकिन वहां की सरकार खुद अपनी गलतकारियों के बोझ के तले दबकर गिर गई। नई सरकार के आने के बाद हमें उम्मीद है कि वह आपके कोआपरेशन के साथ मेरी कान्सटीटुएन्सी में पड़ने वाले तमाम प्रोजैक्टस को पूरा करने पर ध्यान देगी जो कि काफी समय से किसी न किसी कारण फंसे पड़े थे। इस बिल के पास हो जाने के बाद मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र के मैजोरिटी ऑफ प्रोजैक्टस स्टेट लेबल पर ही हल हो जाएंगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और इस बिल को लाने के लिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और साथ ही साथ इस बिल का समर्थन भी करता हूं।

شری پی نام گیال (لداخ): مانیہ سبھاپتی جی۔ یہ جو الیکٹریسٹی سپلائی امینڈمینٹ بل ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس کا میں سمرتھن کرتا ہوں۔ اس بل کے لیے میں منتری جی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ شری دھنک چندر رجن صاحب نے جو باتیں کہیں کہ اس بل کو بہت پہلے لانا چاہئے تھا۔ میں اس کا سمرتھن کرتا ہوں۔ بہرحال۔ آپ اس کو لے آئے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بل کا سب سے زیادہ فائدہ پہاڑی علاقوں کو ہوگا۔ پہاڑی سٹیٹس میں جو ریموٹ ایریاز ہیں یا جو inaccexible جو ہیں وہاں کے پراجیکٹ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی کاسٹ ایک کروڑ سے زیادہ بیٹھتی ہے لیکن اب آپ نے پانچ کروڑ کی لیمٹ کر دی ہے۔ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی تک ایسے پراجیکٹ کو اپروول کے لیے سی۔ ای۔ اے۔ کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد ڈیزائن وغیرہ کے اپروول میں کافی سمے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے پراجیکٹس ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ مائکرو، درمیانی ہائیڈل پراجیکٹ کے لیے میرے سٹیٹ میں کافی کیپسٹی ہے کچھ چھوٹے چھوٹے پراجیکٹس سی۔ ای۔ اے۔ کے پاس ہے جو کہ ابھی تک وہاں clear نہیں ہوئے اور امپلیمینٹ نہیں ہو پائے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہی ہے کہ میرے سٹیٹ میں ایک اسٹاکنا پراجیکٹ ہے۔ وہ ڈھائی کروڑ کی ہو جاتی تھی لیکن بڑھتے بڑھتے ۸ کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب بنے گا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی اسکیلیشن اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اسکیم میں کمی مار۔ کاوٹ پڑی ہے۔ میرے سٹیٹ میں بہت سے پراجیکٹ ہیں جیسے دم دو پراجیکٹ، جانشکار میں ہفتہ پراجیکٹ۔ کارگل میں سورو پراجیکٹ اور یو کا تھرمل پراجیکٹ جو کہ انویسٹیگیشن اسٹیج میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک یا دو کروڑ تک جو پراجیکٹ بن سکتے ہیں۔ ان سے کافی فائدہ ہوگا۔ بڑے پراجیکٹ کی کیپسٹی ہمارے پاس بہت ہے جس سے ہزاروں میگاواٹ بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارا ریموٹ ایریا ہونے کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائن پر خرچہ بہت زیادہ آتا ہے کئی پراجیکٹس میں ٹرانسمیشن لائن پر بہت زیادہ خرچہ آجاتا ہے دوسرے پاور کے یوٹیلائزیشن کی بہت پرابلم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ایریا میں پاپولیشن بھی بہت کم ہے۔ اس لیے میری کانسٹی ٹیوینسی میں چھوٹے چھوٹے پراجیکٹس بن جانے پر کافی فائدہ ہونے کی سمبھاؤنا ہے۔ ان پراجیکٹس کے نام میں نے آپ کو ابھی بتائے امید ہے آپ ان پر بھی توجہ دیں گے۔ حال ہی میں میری اسٹیٹ میں جو چیزیں آئی ہیں اس کو ہم پردیش کی ترقی کی دشا میں اٹھا صحیح قدم مانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پہلی سرکار نے جتنے چھوٹے چھوٹے پراجیکٹس کے کام کو روک کر رکھا تھا ان سب پر موجودہ سرکار دھیان دیگی۔ حالانکہ وہ چیز ہم یہاں لائے ہیں ادھر کے لوگ بہت شور کر رہے تھے اور اس پرشن پر وہ ہاؤس سے باہر نکل بھی گئے ہیں لیکن وہاں کی سرکار خود اپنی غلط کاریوں کے بوجھ تلے دب کر گر گئی۔ نئی سرکار کے آنے کے بعد ہمیں امید ہے کہ وہ آپ کے کوآپریشن کے ساتھ میری کانسٹی ٹیوینسی میں پڑے ہوئے تمام پراجیکٹس کو پورا کرنے پر دھیان دیگی جو کہ کافی سمے سے کسی نہ کسی کارن پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں سٹیٹ میں ہماری آف پراجیکٹس اسٹیٹ لیول پر بھی حل ہو جایا کریں گی۔ ان شبدوں کے ساتھ میں مانیہ منتری جی کا ایک بار پھر دھنیواد کرتا ہوں اور اس بل کو لانے کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں۔

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : चेयरमैन साहब, मैं इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई अमैंडमैंट बिल, 1984 का समर्थन करता हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है और उसमें बिजली की बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि वहां पर 1100 या 1200 मेगावाट बिजली तैयार की जा सकी है, मगर फिर भी स्थाई तौर पर बहुत थोड़ी मात्रा में बिजली मिलती है। कुछ सतपुड़ा से मिलती है, जिसको मध्य प्रदेश वाले छीन लेते हैं, कुछ भाखड़ा से मिलती हैं, उसको हरियाणा और पंजाब के लोग छीन लेते हैं, और कुछ यू०पी० से मिलती है, कुछ दिल्ली से मिलती है, उसमें भी हम कह नहीं सकते कि वास्तव में हमें पूरा भाग मिल भी पाता है अथवा नहीं। यदि हमारे यहां कोई बिजली बनाने का काम हुआ है तो वह कोटा थर्मल की दो यूनिटस तैयार हुई हैं, उसके अलावा राजस्थान का किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है, जिससे बिजली प्राप्त की जा सके। इस तरीके से आपने राजस्थान प्रान्त को कुल मिलाकर लगभग 220 मेगावाट बिजली दी है। मैं जनता पार्टी सरकार की बात नहीं करता, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, आप पिछले आंकड़ों को देख लीजिए, वैसे तो हमें 1200 मेगावाट के लगभग बिजली दे रखी है, लेकिन कभी भी 300 या 400 मेगावाट से ज्यादा नहीं मिली। हर साल ऐसा ही होता है। इसी कारण एग्रीकलचर और इंडस्ट्री के मामले में राजस्थान काफी घाटे में रहा है और हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट नुकसान में रहता है। हमारे इंडस्ट्रीज और कामर्स मिनिस्टर साहब अन्दाजा लगायें कि पिछले तीन

सालों में राजस्थान को इस कारण कितना नुकसान उठाना पड़ा है, लगभग पांच करोड़ रुपये साल के हिसाब से, वह सिर्फ बिजली के कारण हुआ है। माननीय विद्युत मंत्री जी फिर भी आप इस ओर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते। राजस्थान के काश्तकारों और राज्य में इन्डस्ट्रीज लगाने वाले लोगों को जब इतना नुकसान हर साल होता है तो उसका प्रभाव मजदूरों पर भी पड़ता है, उनको भी पूरा पैसा नहीं मिल पाता और इन्डस्ट्रीज को पावर न मिल सकने के कारण वे सिक होती जा रही हैं, उनमें एक-के-बाद-एक ताले लगते जा रहे हैं। इससे एक ओर तो प्रोडक्शन घटता जा रहा है और दूसरे मजदूरों की दशा दयनीय होती जा रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान में बिजली की नियमित सप्लाई की इस तरीके से व्यवस्था करें जिससे काश्तकारों और इन्डस्ट्रीज लगाने वालों को सुचारु रूप से वह मिलती रहे। वैसे तो मंत्री जी की कृपा से हमें दो एटामिक प्लांट मिले हैं तथा निकट भविष्य में दो और मिलने जा रहे हैं, लेकिन उन दो प्लांट में से एक प्लांट पिछले दो वर्षों से बिल्कुल बन्द पड़ा हुआ है। और दूसरे यूनिट दो महीने चलती है फिर बन्द हो जाती है। 400 मेगावाट का सामला बिल्कुल ही गोल है। इस कुव्यवस्था को आप ठीक कीजिए ताकि लोगों की आर्थिक हालत अच्छी हो।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के सभी विद्युत बोर्ड्स में घाटा हो रहा है और इसके लिए वहां के अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं। काफी मशीनरी और सामान जिसकी आवश्यकता नहीं है खरीद लिया जाता है केवल कमीशन खाने की लालच से और वह सामान काम में न आकर यों ही पड़ा-पड़ा सड़ता है। हमने पिछली दफा भी सुझाव दिया था कि आप आल इन्डिया लेबिल पर एक नेशनल ग्रिड बनाइए ताकि सब समान रूप से सब राज्यों को बिजली मिल सके। जब तक ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की यही हालत रहेगी। हमारे राजस्थान में बोर्ड में 50,000 कर्मचारी काम करते हैं, जबकि आवश्यकता केवल 15,000 कर्मचारियों की है। यही हालत रोड ट्रांसपोर्ट की है। यही कारण है कि कोई भी बिजली बोर्ड और रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन मुनाफे में नहीं चल रहा है। इसलिए नेशनल ग्रिड बनाइए और एक समान तरीके से बिजली उपलब्ध कराइए उद्योगों को और किसानों को जिससे देश का उत्पादन बढ़े और हमारा गरीबी दूर करने का जो प्रोग्राम देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिया है उसको सही रूप में इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन अभी हालत दूसरे प्रकार की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस व्यवस्था को ठीक करें।

हमारे देश में बिजली की 8 प्रतिशत की कमी है। मगर ट्रांसमिशन लौसेज 40 से 50 परसेंट है। क्या इसको आप नहीं रोक सकते? आधी बिजली ट्रांसमिशन लौसेज में ही खत्म हो जाती है जिससे उद्योगों और खेती को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़े-बड़े लोग बिजली की चोरी करते हैं, दिल्ली में ही लाखों गैर कानूनी कनैक्शन होंगे जहां कोई मीटर नहीं है। सारे देश में जो पैसे वाले लोग हैं इसी तरह से बिजली की चोरी कर रहे हैं जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है। इसको भी आप ठीक कीजिए।

आर०ई०सी० स्कीम में क्या हो रहा है। गांवों में बिजली लगाने वाले लोग किसानों को काफी परेशान करते हैं। गांव के बाहर बिजली लगा दी है, कहते हैं कि जिसको आवश्यकता हो वह सप्लाई करे। एक आदमी को कह दिया जाता है तुम्हारे कूए तक बिजली ले जाने के लिए 8 खम्भों की जरूरत पड़ेगी, और उसी रास्ते में जो और कूए पड़ते है उनसे भी खम्भों के पैसे ऐंठे जाते हैं और इस प्रकार लोगों को लूटा जाता है। इसको आपको देखना चाहिए। जब एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और काश्तकारों की आर्थिक उन्नति के लिए ऐसे कार्यक्रम दे रहे हैं···वैसी हालत में आपका विभाग क्या कर रहा है? आपका विभाग इस तरीके से काम कर रहा है जिस तरह से परदेश से आया कोई विभाग हो और वह गरीब काश्तकारों को लूटने के लिए यहां भेजा गया कोई अंग्रेजों का भाई-बन्धु हो जो कि हमारी दौलत-खजाने को लूटना चाहता है।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

मंत्री महोदय, आप जवान आदमी हैं, आप कुछ इस प्रकार की खींचतान करें जिससे यह विभाग ठीक प्रकार से काम कर सके, और गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके।

आपकी योजना में यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के गांवों में बिजली प्राथमिकता के आधार पर देंगे। आप इन लोगों के गांवों में देखिए, 10, 20 परसेंट की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन 80 प्रतिशत इलाके ऐसे हैं, जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की बस्तियां हैं और वहां आज तक बिजली नहीं लगी है। हालांकि आपने इसका प्रावधान किया हुआ है, लेकिन अधिकारी लोग इसका पूरी तरह से पालन नहीं करते जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार की नीतियों का जितना असर पड़ना चाहिए, वह नहीं पड़ रहा है। आप इस व्यवस्था को ठीक कीजिए जिससे कांग्रेस की नीतियों का उन लोगों पर असर पड़े और भविष्य में जब भी समय आए तो वह आपके हाथों को मजबूत करने में अपना योगदान कर सकें।

आपने राजस्थान में कोटा में दो थर्मल यूनिट लगाए हैं जबकि वायदा आपका 4 का था। दो यूनिट वहां लगे ही नहीं हैं। इन दोनों यूनिटों को भी जल्द से जल्द वहां लगाया जाना चाहिए ताकि वहां पर कम-से-कम 440 मेगावाट बिजली तो हमारे राजस्थान की अपनी हो सके।

मैं 4 साल से बराबर कह रहा हूं, अब आप चौथे या पांचवें विद्युत मंत्री यहां आए हैं। हर साल विद्युत मंत्री बदलते रहे हैं। हमारे यहां लिग्नाइट बेस्ड प्रोजेक्ट कभी का लग जाना चाहिए था लेकिन अभी तक न तो प्लानिंग विभाग से इसकी स्वीकृति मिली है और न आपके यहां से मिली है।

बाड़मेर में पलाना में बहुत सारी लिग्नाइट निकला है, लेकिन वह सारी योजना खटाई में पड़ी हुई है, पता नहीं किस बस्ते मे बंधी हुई है जिससे वह आज तक स्वीकृत नहीं हो पाई। अगर पलाना और बाड़मेर में इस तरह की 65 मेगावाट की यूनिट लग जाती है तो इससे कितना बड़ा लाभ राजस्थान को मिल सकता है। इसलिए इस लिग्नाइट बेस्ड प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए और राजस्थान को बिजली पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके नेतृत्व में पलाना में लिग्नाइट बेस्ड प्रोजेक्ट लग जाता है तो राजस्थान के लोग याद रखेंगे कि आरिफ साहब एक नौजवान मिनिस्टर थे जिन्होंने राजस्थान के लिए बिजली पहुंचाने की कोशिश की है।

पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें राजस्थान का भी हिस्सा है, लेकिन आज वह इधर-उधर हो रहा है। वह ठीक तरह से हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है। आप इस बात को देखें कि राजस्थान के साथ अन्याय न हो और राजस्थान का जितना भी हिस्सा वहां से मिलना चाहिये, वह हमको न्यायपूर्वक मिले।

बिजली की मशीनरी बनाने की व्यवस्था हैवी इलैक्ट्रिकल्स के पास है लेकिन यह एक ऐसा कारखाना है जो दो, तीन साल तक आपके आर्डर का पालन नहीं करता जिसकी वजह से हमारी विद्युत योजनाएं खटाई में पड़ जाती हैं। इस बीच प्राइस एस्केलेशन हो जाता है, जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि 3 करोड़ की योजना थी जो अब 58 करोड़ की हो गई। इसके पीछे यही कारण कि मशीनरी और टरबाइन्स उपलब्ध नहीं होते। आप एक इलैक्ट्रिकल्स का कारखाना छोटे स्केल का और लगाइए जिससे टरबाइन्स और मशीनरी हमको मिल सके और हम जल्द से जल्द बिजली की योजनाए स्थापित कर सकें जिससे हमारे यहां एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीय प्रोडक्शन हो जिससे हम औद्योगिक विकास और खेतीबाड़ी के विकास में आगे बढ़ सकें और उसके जरिये से देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बना सकें, गरीबी को दूर कर सकें और प्रधान मंत्री की नीतियों को क्रियान्वित कर सकें। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह इन योजनाओं को पूरा करने में सहयोग दें।

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar) : Mr. Chairman, I support this Bill.

I congratulate our Prime Minister for giving more powers to the State Governments in regard to power sector, when the Opposition have been asking for more power for the last two years. It is a happy augury.

I would like to draw your attention to the fact that the implementation of the projects is being delayed. The project cost is increasing with the delay in the execution of the project because the price index is going up. If we delay the implementation of projects, the benefits that would be accrued would be eroded by the increased project cost. A project which was worth Rs. one crore, its value now has risen to Rs. 5 crores.

Anyhow, I am happy that at least now the Central Government has taken upon itself to see that the State Governments implement the various schemes without any delay. This is a step in the right direction. I congratulate the Central Government and especially the Ministry of Energy for this attitude on their part.

In the North-eastern sector, Central Government has sanctioned various schemes. I would like to draw the attention of the Hon. Minister for Energy who is very energetic in his work, particularly to the present hopeless position in which both the Loktak and Kopali projects are. Allegations of corruption, technical failures and delay in implementation of these projects have been levelled in several newspapers. I am at a loss to understand why such projects which were due to be completed long back, take such a long time. From the discussions that have taken place in the debate today in the House, I do not think any answer to this charge is forthcoming. These two projects are the long-felt desire and need of the people of hill areas of North-eastern region. On the success of these two projects depends the industrial, the rural and the agricultural development of the whole North-eastern region which consists mainly of 70% of the hill areas. Why is it that these two projects are not being turned into reality ? Where does the defect lie ? Is it the fault of the schemes or is it the fault of the implementing machinery or is it due to the non-cooperation of the Government or the contractors there ?

A thorough investigation has to be made into these questions. I am sure the Hon. Minister knows that various organisations and the newspapers alike are very severe in their criticism about the delay in the implementation of these two projects. I know that certain corrective measures have been taken. In view of the importance of these two projects, I would earnestly request the hon. Minister to look into the matter and let us know, if possible, where the defect lies and what remedial measures have been taken by the Government.

The Government of Assam have placed the two projects, Dihang and Suvarnasri, before the Ministry for implementation. With the enactment of the Act, the Central Government is giving more powers to the States. Therefore, the representatives of the States have every right to ask the Central Government as to what steps they are taking to implement the schemes in a speedy manner. These schemes are long outstanding.

The Prime Minister has said during Assam tour that a Special Cell has been created with a Union Minister from Assam area Shri N.R. Laskar and with representatives from the Ministry to see that all the ongoing and incoming projects in the North-eastern region are taken up with Sputnik speed. But unfortunately the implementation of these projects is dragging on at snail's pace or on the scale of speed of frog ! I would therefore like to know from the hon. Minister the reasons for the delay in the execution of these projects.

15 hrs.

I would like to make two more points. On the 15th of last month, we had a 20-point Programme meeting at Gauhati presided over by the Chief Minister and we have been told that a scheme for a loan of Rs. 35 crores for rural electricity project which is vital for the implementation of the 20-point

[Shri Sontosh Mohan Dev]

Programme is lying with the Central Government, and unless this money is made available to the State Government, they will not be in a position to reach their target in rural electrification under the 20-point Programme. So, on this occasion I would like to draw his attention to this, and I would urge on him to see that it is cleared as early as possible.

I am happy that, in reply to my letter, the hon. Minister, Shri Arif Mohammad Khan, has informed me that Barakdam, which is a project in my constituency, has been cleared by the CWC on technical grounds and now it will be processed by the different Ministries and then it will go before the Planning Commission. I will not feel shy in urging upon the hon. Minister that it should be done before October-November so that I can face the electorate—because it is a very long-standing demand, the Minister has taken some interest in this, and this is the desire of the people. After my memorandum to the Prime Minister, the technical survey report which was due to be submitted within four years has been shortened and it has been submitted within three years for which I congratulate the Central Electricity Authority and the CWC. But I would like to see the implementation part of it very soon.

I again congratulate the hon. Minister. Even if it is not possible for him to answer now to the points I have raised, I am sure the hon. Minister who has gone to the Ministry not very long ago know the feelings of the Members of Parliament and he will react accordingly.

श्री डी०पी० यादव (मुंगेर) : सभापति महोदय, बिल बहुत छोटा और प्यारा है। एक करोड़ से बढ़ा कर 5 करोड़ की राशि आप कर रहे हैं और इसका अधिकार राज्य सरकार के बिजली बोर्ड को दे रहे हैं, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। बिजली कानकरेंट लिस्ट में है। आपकी सहमति से राज्य सरकार बिजली बोर्ड बनाती है और बिजली का काम वह कर रहे हैं। लेकिन काम की समीक्षा करना आपका धर्म है। अगर नहीं करेंगे तो याद रखिये हमारे राज्य बिहार में साढ़े सात सौ से आठ सौ मैगावाट इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है, 43-44 हजार एम्पलाईज हैं और जैनेरेशन 300-400 से ज्यादा कभी नहीं हुई। तो यह एक काशन का प्वाइन्ट जरूर आप के लिए है। इस पर आप जरूर तवज्जह कीजिए। हम तो समर्थन करने के लिए उठे ही हैं।

चूंकि यह बिल आप ले आए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज के दिन मैं कुछ अपनी बात आप को बता दूं जो मेरे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अनुभव के आधार पर मेरी जानकारी में है।

राजाध्यक्ष कमेटी की रिपोर्ट में एक जगह है—कास्ट फैक्टर प्रोडक्शन आफ इन्स्टाल्ड कैपेसिटी एण्ड ट्रान्समिशन—अमेरिका का देख लीलिए, यू० के० का देख लीलिए, जर्मनी का देख लीजिए और हिन्दुस्तान का देख लीलिए और कोशिश कीजिए कि हम भी जैनरेटिंग कास्ट अधिक से अधिक नीचे लाएं।

आप किसी को ग्राउन्ड पर फेवरिटिज्म करने के लिए या और किसी वजह से किसी को चेयरमैन इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बना देते हैं। अपने मन के आदमी रख लिए जाते हैं। मेरा कहना है कि मैन पावर प्लानिंग बिजली बोर्ड में आवश्यकता के अनुरूप आप जरूर कीजिए। इस बात के ऊपर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए और उसका एक स्ट्रांग मानिटरिंग सेल आपके यहां होना बहुत आवश्यक है। यह मैंने आपको एक सुझाव दिया।

एक दूसरी बात मैं काशन के रूप में कहना चाहूंगा। जब कभी भी आप बड़े थर्मल पावर स्टेशन्स की प्लानिंग करते हैं तो उसके पोलिटिकल और सोशल फैक्टर्स को आप नहीं देखते हैं। आप केवल टैक्निकल फैक्टर्स को ही देखते हैं। और आपने वहां पर जो टेक्निकल आफिसर बहाल किए हैं उनको वहां की जियोलोजी और जियोग्रैफी का ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि कहलगांव बिजली घर पीछे चला गया और अन्य बिजली घर पहले निकल आए जबकि पूर्वांचल में कहलगांव बिजली घर को सबसे पहले आना चाहिए था। इसका

कारण क्या है ? कारण यह है कि बिजली उत्पादन में सबसे प्रमुख बात जरूरत होती है कूलिंग आफ वाटर की। ऐसी जगह पर बिजली घर स्थापित किया जाना चाहिए जहां कि पर पेरेनियल वाटर सोर्स है, सदा पानी मिलता रहे, ऐसा नहीं अर्कज-नली पानी मिले या 6 महीने के लिए पानी मिले या डैम बनाकर मिले। इसलिए वाटर बैलेंस-शीट और कूलिंग कैपेसिटी—इसका जो इफेक्ट होगा वह देखना पड़ेगा। आप 5 या 10 या 20 हजार मैगावाट बिजली पैदा करने जा रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस इलाके में जो पहले से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो उसको बिजली उत्पादन में लगा दिया जाए और उससे वह इलाका बर्बाद हो जाए। मैंने इस सम्बन्ध में एक खत सोनियर मन्त्री को लिखा है जिस पर तवज्जह दी जाए। काफी टैक्निकल रूप में अच्छे ढंग से लिखा गया वह पत्र है, उसमें मैंने जो सुझाव दिए हैं उनको मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि पेरेनियल और नान-पेरेनियल वाटर सोर्सेज को देखकर ही मेजर सुपर थर्मल पावर स्टेशन्स की स्थापना होनी चाहिए।

कमेटी की रिपोर्ट में यह भी है कि जहां पर कोयला उपलब्ध हो उसके नजदीक ही पावर स्टेशन स्थापित होना चाहिए। थ्योरेटिकली तो सभी लोग कहते हैं कि खान से कोयला निकालकर बिजली उत्पादन करके ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा उसको भेज दिया जाए लेकिन कोल कैरिज में कितना कष्ट हो रहा है और आपको कितनी डिफी-कल्टी आ रही है इस पर भी आप जरूर ध्यान दें।

तीसरी बात मैं काशन के रूप में कहना चाहूंगा। बड़े बिजली घरों की एश डिस्पोजल की एक बहुत बड़ी प्राब्लम होती है। वहां से जो राख निकलती है वह हजारों एकड़ खेती योग्य भूमि को कहीं राख ही न कर दे। हमारा जो क्षेत्र है वह बाढ़ से प्रभा-वित है। हमारे बिहार और बंगाल में गंगा के किनारे का जो क्षेत्र है वह बाढ़ का क्षेत्र है और वहां पर बाढ़ से तबाही हो रही है। लाखों ऐसे लोग हैं जो बेघर-बार हो गए हैं, वे बसने के लिए ऊंची जमीन चाहते हैं। मैं समझता हूं सुपर थर्मल पावर स्टेशन्स का एक सोशल आब्लीगेशन और कमिटमेंट होना चाहिए कि पूरे एरिया की भलाई को देखते हुए वे वहां से निकली हुई एश के द्वारा लाइन के किनारे-किनारे सेक्टर-वाइज प्लेट-फार्मस रेज़ करें जहां पर डूबने वाले इलाकों के लोग बसाए जा सकें। यह एक सोशल वर्क है और वहां के आफिसर्स कहेंगे कि हमारा काम तो बिजली पैदा करना और उसको बांटना ही है, बाकी उससे कोई आर्थिक या सामाजिक परिवर्तन पैदा हो रहा है तो उससे हमारा कोई कन्सर्न नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस प्रजातांत्रिक देश में सारे फैक्टर्ज को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। एश डिस्पोजल के कारण क्या एन्वायरन्मेन्टल हैजर्ड पैदा होंगे उनको भी देखना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया है उस प्रकार से यदि आप एश का डिस्पोजल करें तो समस्या का समाधान निकलेगा। एक बात जरूर है कि छठे प्लान के अंत तक आप ने जनरेटिंग कैपेसिटी करीब-करीब दो हजार मेगा-वाट प्रति मास एड कर दी है। यह आपके लिए क्रैडिट है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री आरिफ मुहम्मद खां : तीन से भी ज्यादा है।

श्री डी०पी० यादव : मेरी सूचना दो हजार प्रति साल की है।

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : They have not exceeded their target.

SHRI D.P. YADAV : Anyway this is also an achievement and we must give credit for that

छठे प्लान का पीरियड भी पूरा हुआ है और सातवें प्लान के एप्रोच पेपर्स को भी मैंने पढ़ा है। वह बहुत ही संजीदा और गठा हुआ रिपोर्ट है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिजली हम पैदा कर किसके लिए रहे हैं ? किसानों के लिए, जो भूखा है और अपनी भूख को समाप्त करना चाहते हैं। कहा जाता है कि किसानों को बिजली दी जा रही है, मैं बताना चाहता हूं कि किसानों तक बिजली पहुंचते-पहुंचते उसका वोल्टेज 120 से 110 हो जाता है।

[श्री डी० पी० यादव]

इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ट्रांसमीशन लॉस हो रहा है। यह डिफैक्ट कहां है, वह पता नहीं लग पाता है। इन चीजों को आपको देखना चाहिए। देहातों में जाइए तो पता चलेगा कि पोल पर से तार टूटा हुआ है, ब्रैकेट नीचे हैं किसी आदमी ने काट लिया है। जिन लोगों को आप सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, वह उन तक नहीं पहुंच पाती है। इसको बड़ी मुस्तैदी के साथ मोनीटर करना चाहिए। इसके साथ-साथ उन राज्यों को कहना पड़ेगा कि अगर इनका परफार्मेंस ठीक नहीं होगा तो हमें बड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी क्योंकि यह कान्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है।

रूरल एरियाज में सबसे बड़ी समस्या अन-औथराइज्ड कनैक्शन्स की है। देखने में आता है कि किसी चक्की वाले ने ही बीच में तार अपनी तरफ मोड़ ली है, लेकिन नोटिस किसान को इशू कर दिया जाता है कि उनको इतना रुपया जमा कराना है, लेकिन उस चक्की वाले को कुछ नहीं कहा जाता है। इनकी संख्या को देखते हुए ऐसा लगेगा कि परफार्मेंस आफ दि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड उतना अच्छा नहीं है, जितना कि हम और आप उम्मीद कर रहे हैं। इस ओर आपको बहुत ही गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

अब मैं पूर्वांचल क्षेत्र बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मिजोराम, मेघालय और हिमाचल आदि के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर आपको पावर प्लानिंग एक बार फिर से रि-कास्ट करना होगा। यहां एग्रीकल्चरल पोटेंशियलिटी औपटिमम पर हो चुकी है, आप ज्यादा गल्ला पैदा नहीं कर सकते हैं। गल्ला पैदा करने के लिए अन्य सहूलियतों के साथ-साथ पावर की आवश्यकता होती है। यदि इसके लिए सब्सिडी भी देनी पड़े, तो वह भी देनी चाहिए। जिस क्षेत्र में वाटर लोगिंग है, उन क्षेत्रों में लार्ज नम्बर आफ पम्प लगाकर पानी डाल दीजिए। गंगा से पानी वहां डाला जा सकता है। इसलिए वाटर रिसोर्स, मैनेजमेंट और इलैक्ट्रिसिटी—इनको नए सिरे से डिफाइन करना होगा, खास कर पूर्वी क्षेत्रों के लिए।

अंत में मैं आप का ध्यान टहलगांव बिजली घर की ओर खींचना चाहूंगा। जब भी मैं इस बिजली घर की योजना के बारे में पूछता हूं तो कहा जाता है कि प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने क्लिअर कर दिया है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है—अभी तक फार्मल क्लिअरेंस नहीं हुआ है। यदि हो गया है, तो आप इस सदन के माध्यम से हम को बतलायें कि इस बोर्ड ने उसको क्लिअर कर दिया है। साथ ही यह भी बतलायें कि यह प्रोजेक्ट सातवें प्लान की प्रायोरिटी लिस्ट में आया है या नहीं। यह ठीक है कि बाहर का काम वहां हो रहा है, लेकिन इस काम में जो गति होनी चाहिये, उस की गतिशीलता को बढ़ाइये।

पावर मैनेजमेंट के लिये टैकनीकल आफिसर्ज की सलाह को जरूर माना जाना चाहिये, लेकिन उस का जो सोशल फैक्टर है, जो रूरल फैक्टर है, उसके बारे में आप के टैकनीकल आफिसर्ज सलाह नहीं दे सकते हैं, उसके लिये आप जनप्रतिनिधियों को इन्वाल्व कीजिये। इस तरह का विरोध बहुत होता है कि ये एम०पी० और एम०एल०ए० क्या हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। हर पावर स्टेशन के साथ, उसके प्राजेक्ट प्लानिंग, फ्यूचर-डिजाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एप्वाइंटमेंट्स के मामले में, एक छोटी सी कमेटी इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज की जरूर बनाइये जो आपको एडवाइस करे, जो देख सके कि जो भी टैक्नीकल रिपोर्टें आ रही हैं वे कहां तक ठीक हैं और कहां तक उनको इम्प्लीमेन्ट किया जा सकता है। हर रीजनल पावर स्टेशन्ज के डवैलपमेंट के लिए इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्ज का इन्वाल्वमेंट होना चाहिये।

इन चन्द सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला): माननीय सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन विधेयक के द्वारा एक करोड़ से पांच करोड़ के नीचे की स्कीमों के लिये धन खर्च करने का प्रावधान करेंगे,

इस दृष्टि से यह बहुत अच्छा विधेयक है। जहां तक हमारे पहाड़ी क्षेत्रों का ताल्लुक है, वहां हम पनबिजली योजनाओं के जरिये, छोटी छोटी योजनाओं के जरिये ज्यादा बिजली पैदा कर सकेंगे—इस दृष्टि से यह बहुत अच्छा प्रयास है।

हमारे प्रदेश में एक 'नागपा-झाकड़ी' की योजना बनी हैं, जिसको संजय विद्युत योजना के नाम से भी पुकारा जाता है तथा हमारे प्रदेश के बिजली मंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन भी किया था। लेकिन वहां धन का जो प्रावधान किया गया वह बहुत ही कम है। अभी हाल में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने कोल डैम के बारे में एक समझौता किया है, उसमें राजस्थान सरकार भी पैसा खर्च करेगी और हम भी सहयोग देंगे—यह बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें कोयले की खपत बहुत ज्यादा होती है। कोयला हमारी नेशनल प्रापर्टी है इसलिए इसको जितना महफूज रखा जाय उतना ही अच्छा होगा। दूसरी तरफ जो पनबिजली योजनाएं बनती हैं उनके द्वारा जो बिजली पैदा होती है, वह सस्ती पड़ती है तथा ज्यादा पैदा की जा सकती है। आज राज्य सरकारें समझौता तो कर लेती हैं, उनके बयान भी निकल जाते हैं, लेकिन धन का प्रावधान न होने के कारण वे काम नहीं हो पाते हैं।

जहां तक मेरे मित्रों ने कहा है, नामग्याल जी ने कहा है और यादव जी ने कहा है, बड़ी अच्छी बातें कहीं हैं लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर जितना पंजाब का क्षेत्र है, उसमें हमारा भाखड़ा डैम आता है, व्यास डैम आता हैं और सुन्दर नगर डैम आता है और ये जितने डैम हैं ये पजाब के बोर्डर के साथ-साथ बने हुए हैं और इनसे सबसे बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ा है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ा है। भाखड़ा डैम जो है, उस में बिलासपुर के सारे किसान आज तक बरबाद होते चले जा रहे हैं। अभी तक उनको जो जमीन का भाव मिला, वह बहुत कम रेट मिला। इसमें हरिजन और ट्राइब्स के जो लोग हैं, उनकी बहुत ही बुरी दशा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार उनके बसाने के लिए उचित प्रबन्ध करे। अगर वे राजस्थान जाते हैं, तो राजस्थान से उन को डंडे मार कर निकाल दिया जाता है और अगर वे दूसरी जगहों पर जाते हैं, तो फारेस्ट का कानून आ जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन सीधे-साधे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको मंत्री जी देखें। आप तो जवान आदमी हैं और आपको इन से प्यार है और मैं आशा करता हूं कि आप इस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

इसके बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि नागपा झाखड़ी और कोल डैम है, वहां गिरीबाटा हिमाचल प्रदेश की योजना है और गिरीबाटा योजना रोजाना दो लाख रुपया कमाती है। यह पन-बिजली योजना है लेकिन वहां जटावन एक जगह है और स्टेट गवर्नमेंट बे भारत सरकार को कहा है, भारत सरकार के उद्योग विभाग को कहा है कि वहां के लिए स्कीमों की मंजूरी दी जाए। मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि इतनी बड़ी यह प्रोजेक्ट है और उसके साथ जो हमारे पानी के स्रोत फालतू बचे हैं, उनको भी आप बिजली पैदा करने के लिए लगाएं।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब पंजाब, हिमाचल, हरियाणा का बंटबारा हुआ था तो जो पोंग डैम है और जो भाखड़ा डैम है, इसमें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, पंजाब से जो पन विद्युत प्रोजेक्टों का हिस्सा था उसके हिसाब से हमें यानि हिमाचल को 7.19 परसेंट रायल्टी मिलनी चाहिए थी लेकिन 2.19 परसेंट हमें मिली। इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन डैमों में जहां तक हमारी समूलियत है, उसका पैसा हमें दिया जाय और वह ज्यादा होना चाहिए। हमारे यहां लोग नहरें नहीं तोड़ते हैं और न इस तरह का कोई दूसरा काम करते हैं और न कोई गड़बड़ करते हैं और हमारे यहां के लोग पुर-अमत हैं और वे ठीक तरह से अपने प्रदेश का उद्धार करना चाहते हैं। इसलिए हमारे यहां के लोगों को मदद

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

मिलनी चाहिए। आप थर्मल प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा पैसा लगाते है और 5 करोड़ रुपये की जो स्कीम है, वह बड़ी अच्छी स्कीम है और मैं तो कहता हूं कि इसको 10 करोड़ रुपया होना चाहिए ताकि ज्यादा फायदा लोगों को मिल सके मगर मैं एक बात इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड हैं, वे तारें खरीद लेते हैं और उस का मिसयूज होता है जो कि ठीक बात नहीं है। जहां तक कौल डंप की बात है। एक आदमी को आर्डर चला जाता है और वही सारा फायदा उठा लेता है। आपको इसकी समीक्षा करनी होगी और अपने अधिकारी इस बात के लिए मुकर्रर करने होंगे जोकि इन बातों की जांच करें। एक बात यह भी है कि पोल पर तार खींचने वाले लोग तो कम होते हैं लेकिन जो बोर्ड का स्टाफ है, वह बोर्ड में बैठा हुआ ही काम करता है। इस बात को देखना होगा। अगर ऐसा हुआ, तो इससे हमारी इन्कम बढ़ेगी और लोगों को फायदा पहुंच सकता है।

एक बात और मुझे कहनी है। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्कीमें बनी हैं और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान भी भारत सरकार ने बनाया है और राज्य सरकारों ने भी बनाया है लेकिन इन पर ठीक से काम नहीं हो रहा है। हमारी प्रधान मंत्री जी के दिल में इस देश के गरीब लोगों के लिए प्यार है लेकिन हो क्या रहा है। अगर नजदीक में तीन फेस की लाइन है, तो उसमें यह लगा देते हैं कि यह सांझा काम है और इसमें हरिजन का भी आ गया और ट्राइब का भी आ गया लेकिन असली कनेक्शन दूसरों को दे देते हैं और अपने टार्गेट पूरे कर देते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि जितना पैसा कम्पोनेन्ट प्लान का है, स्टेट्स में उसकी समीक्षा के लिए शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की कमेटी होनी चाहिए ताकि सही माइने में वह देख सकें कि यहां जो पैसा खर्च हो रहा है यह सही हो रहा हैं वरन् यह जो 5 करोड़ रुपया जाएगा, यह फिजूल जाएगा और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है मेरा कहना यह है कि आप इसकी समीक्षा कराएं ताकि गरीब लोग लाभान्वित हो सकें। आप हिमाचल प्रदेश गए हैं और इससे वहां के लोगों में विश्वास पैदा हुआ है और मैं आशा करता हूं कि आप हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता देंगे जिससे हमारे प्रदेश में पन-बिजली की योजनाएं चल सकें। इससे हम अपने प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं और हमारी इकोनामी अच्छी हो सकती है। उसको सुधारने में आप अपना योगदान देंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI B.K. NAIR (Quilon) : Mr. Chairman, Sir, I whole-heartedly support this Bill. The main point in this Bill is that the limit of Rs. one crore for relatively small schemes fixed in 1948 is proposed to be raised to Rs. five crores. The Boards or the generating companies are authorised to go in for such schemes without obtaining the concurrence of the Central Electricity Authority. Though the amount of Rs. five crores may not be sufficient to meet the escalation of cost, yet it is a welcome measure.

In this context, I would like to mention that the State of Kerala used to be surplus in electricity till about two years ago, and fifty per cent of our electricity used to be made available to Tamil Nadu and Karnataka at their requests. But about two years ago, Kerala has an unprecedented drought. We are told that that was the worst drought that the State of Kerala has suffered for the last eighty years. And because of this, the generation of electricity has also suffered.

Sir, the ways of expanding generation of electricity in Kerala are very limited. Thermal power generation may be considered for Kerala, but it is quite impracticable, because the transportation charges of coal from the coal pit to the thermal power station in Kerala may be very high. Further, Kerala is a very high density area and the pollution is one of the main factors to be considered. Therefore, the question of thermal power generation for Kerala may not be acceptable or may not be considered.

Further, every State is now demanding that nuclear power generation plants be set up in their State. It is being feverishly discussed in the relevant quarters. Though Kerala has also put up its own claim, but even that may not be considered because of the pollution problem. Further, the question of disposal of waste is also there. That would also present a very serious problem so far as Kerala State is concerned.

In view of this, I would submit for your consideration a suggestion that was made recently by certain bodies in Tamil Nadu as also Karnataka that gas based plants should be considered for this purpose. The shortage in Tamil Nadu, Karnataka and Kerala States can best be met by such plants. Gas can be transported from Bombay by pipes to these States with minimum pollution involved in it. Though the capital expenditure may be quite high, but as a long term measure, this may be the only scheme that may suitably benefit these States. All these States are now suffering because of great shortage of electricity.

There is a lot of industrial expansion in these areas, but the shortage of electricity has affected them adversely. Immediate steps should be taken to improve generation of electricity so that the industrial units get sufficient electricity to meet their requirements. As I suggested, this may be the only means by which the full requirements of electricity in these States can be met.

Further, I find that the Central Government is not very adverse to private parties being encouraged to set up their own generation units. People are being encouraged to set up their own units, but there is a curious stand taken by certain political parties in Kerala State. A practical proposal has been made by a plantation company in that State. The Company has said that water is just flowing down the hills in the plantation area and they can make use of this flowing water to put up a power generation unit for their own use. They wanted permission for this.

They asked for permission to put up their own generating plants. But some political groups in our State take a curious stand on this issue arguing that by conceding to this request, they are going to surrender to private capital. In my view, it is not a rational argument, when we talk of short supply of electricity and when we even purchase electricity at a very high cost from Karnataka and Tamil Nadu. The State Government also repeats the same argument. When the companies themselves are coming forward to put up their own generating plants, I think it is not proper for the State Government to hesitate on this scheme. Central Government may advise the State Government to accept the proposal made by the private company.

I whole-heartedly support this small Bill, which is an essential and a very timely one.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मेरी समझ में नहीं आता कि इलैक्ट्रीसिटी एक्ट का अमेंडमेंट पीसेज में क्या कर रहे हैं? एक्ट तो 1948 का है लेकिन मंत्री जी नए हैं। पुराने ढांचे को लेकर क्यों चल रहे हैं? सिंचाई मंत्री और बिजली मंत्री कहते हैं कि हम बिजली पूरी देंगे। बेचारे काश्तकार अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खेत में लगा देते हैं उसके बाद भी उनको आप बिजली नहीं दे पाते हैं। मंत्री जी यह बता दीजिए कि कितना रुपया कंपनसेशन के रूप में काश्तकारों को दिया गया? मंत्री जी के सुन्दर भाषणों के आधार पर काश्तकार अपनी हजारों बीघा जमीन बो देते हैं। मुआवजा कुछ भी नहीं दिया जाता और यह कह दिया जाता है कि बिजली फेल हो गई है। आज गांवों में काश्तकार यह कहते हैं कि जो सरकार के टैक्नीशियन्स और साइन्टिस्ट्स हैं, क्या उन्हें यह मालूम नहीं कि वह इतनी बिजली दे सकेंगे। मुआवजा न मिलने से काश्तकार की खेती बरबाद हो जाती है। वह अपने भाग्य को रोता है कि मंत्रियों के सुन्दर भाषण के बाद यह फल मिल रहा है। आज हिन्दुस्तान में 24 हजार इंडस्ट्रीज सिक क्यों हैं, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है? आप यह बता दीजिए कि क्या इलैक्ट्रिसिटी एक्ट में कंपनसेशन प्राप्त करने का प्रावधान किया जायेगा या नहीं। आपने एक्ट में लिख दिया है,

> "It is a commercial institution. It will run on business principles."

[श्री मूल चन्द डागा]

आपके बिजनेस प्रिंसिपल्स क्या हैं ? आप रेट बढ़ाते जाइए । हजारों इण्डस्ट्रीज पावर के बिना आज तरस रही हैं । आज, सारे बिजली बोर्ड घाटे में हैं । हमारे ब्रह्मानन्द रेड्डी साहब यहां बैठे हुए हैं । इन्होंने सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन में एक रिपोर्ट लिखी है । पूरे-पूरे चैप्टर में आपने बताया है कि इलैक्ट्रिसिटी में कितने-कितने लौसेज होते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसकी भी जानकारी सदन को दीजिए क्योंकि आज सारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस घाटे में चल रहे हैं और लोगों को बिजली नहीं मिल रही हैं । कभी-कभी आपके यौवन की लोग तारीफ कर देते हैं, यदि मैं भी उसकी तारीफ कर दूं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप बताइये कि क्या यह काम यौवनपन का है या बुढ़ापे का है···

श्री राम प्यारे पनिका : ही हैज रीसैन्टली टेकन ओवर ।

श्री मूल चन्द डागा : आपका हृदय तो करुणा से भरा हुआ है, आप तो खुद भगवान पैदा हुए हैं । यहां यह सवाल थोड़े ही है, बल्कि सवाल यह है कि हमारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्डस घाटे में चल रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या हैं । हमारे ट्रांसमिशन लॉसेज इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं । कोई कहे कि राव बीरेन्द्र सिंह हमारे पड़ोसी हैं इसलिए इनको चिन्ता है, लेकिन राजस्थान को तो कोई बिजली देता ही नहीं । हमारा तो सारा भाग्य ही इन पर निर्भर करता है । वैसे राव साहब खूब कहते हैं कि खेती बढ़ाओ, लेकिन आपकी बिजली फेल हो जाए तो कहां से खेती बढ़े । आप इनसे काश्तकारों को कम्पेन्सेशन तो दिलवाइये । एक जगह ही नहीं, हर जगह घाटा ही घाटा है, आप एटामिक पावर स्टेशन्स को ही देख लीजिए, उसमें भी घाटा है, बल्कि करोड़ों का घाटा है । उसके बावजूद भी बिजली नहीं है । यदि दो एटामिक पावर स्टेशन न लगें तो राजस्थान से सारी बिजली ही गायब हो जाए । फिर आप प्रचार करते हैं कि "आप आइये, राजस्थान में उद्योग लगाइये, राजस्थान आपको जमीन देगा" पता नहीं आप उस नारे से क्या कहना चाहते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए ।

इसके बाद तीसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि आप थोड़े-थोड़े अमैंडमैंट हर साल न करके एक बार ही सारे अमैंडमैंटस लेकर आयें और यहां पास करवायें । इस तरीके से आखिर आप क्या करना चाहते हैं, क्या हर साल अमैंडमैंट लेकर हर मामले में इंटरफियरैंस करना चाहते हैं । वैसे यह बड़ा महत्वपूर्ण ईश्यू था और मैं समझा था कि इस पर हमारे सारे विरोधी दल के लोग अपने-अपने सुझाव देंगे, पीछे जब सारे मंत्रीगण और मुख्य-मंत्रियों की प्लानिंग कमीशन की मीटिंग हुई थी, तो उस वक्त भी उनको कहने का हक था, लेकिन उस समय भी वे बाहर चले गए । पता नहीं हमारे विरोधी दल के लोगों की आजकल क्या नीति हो गई है कि हर महत्वपूर्ण विषय से पहले वे बाहर चले जाते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक-एक और दो-दो अमैंडमैंट न लाकर आप एक घोषणा कर दीजिए कि हर अनुसूचित जाति और जनजाति के मुहल्लों में बिजली लगाई जाएगी, उनकी बस्तियों को इलैक्ट्रिफाइड किया जाएगा, उनके घरों को बिजली मिलेगी । आज तक कुल कितने लोगों को आप बिजली दे पाए हैं । आजकल क्या हो रहा है कि गांव और बस्तियों में बिजली लगाने के नाम पर लोगों से सामान ढुलवाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुम यह सामान दो तो तुम्हारे यहां बिजली लगेगी जबकि उसका पैसा इंसपैक्टर साहब गवर्नमैंट से वसूल करते हैं । जबकि सारा काम उन लोगों से ले लिया जाता है । इस पर भी लोग उनको खाना खिलाते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन इस पर भी उनको बिजली नहीं दी जाती ।

आज सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि हमारे यहां मीटरों की भारी कमी है । यदि कोई मीटर खराब हो जाए तो उसको ठीक करने वाला कोई नहीं । हजारों लाखों की संख्या में मीटर्स खराब पड़े हुए हैं । क्या आप सदन को जानकारी देंगे कि कुल कितने ट्रांसफार्मर खराब हैं । मंत्री महोदय आपके पास तो सारे आंकड़े मौजूद होंगे

और आपको तो सारे आंकड़े याद भी होंगे। क्या आप बतायेंगे कि कुल कितने मीटर्स खराब पड़े हुए हैं और आपके पास उनको सुधारने की क्या व्यवस्था है। फिर अभी आपकी नीति में परिवर्तन आया है और आपने इसे एसेन्शयल सर्विसेज घोषित किया है, उसके बावजूद भी इनमें इतनी स्ट्राइक्स हो रहीं हैं और लोग आये दिन स्ट्राइक कर देते हैं, क्या आप उसके लिए भी कोई नियमों में व्यवस्था करेंगे या नहीं। क्योंकि इसके न होने के कारण हर क्षेत्र में हमारा भारी नुकसान हो रहा है, लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं, लोगों की हालत खराब होती जा रही है। पीछे दिल्ली में भी अंधेरा हो गया था। हमारा तो यही कहना है कि जब-जब दिल्ली में अंधेरा होगा, उसकी गूंज अखबारों में होगी, लोग आपको कहेंगे, आप यहां पर बैठे हुए हैं···जो हमारे पहले मंत्री थे डा० के० एल० राव सारी रात वह पावर हाउस में बैठे रहे। हर एक बात उनकी नोट में थी। तो मंत्री जी, आप यह टुकड़ों में बिल न लाओ, बल्कि काम्प्रीहेंसिव बिल लाओ। क्योंकि इन छोटे-छोटे बिलों से हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। और राजस्थान के बारे में जो व्यास जी ने कहा वह बिल्कुल ठीक ही कहा। हमारे यहां तो बिजली है ही नहीं, कोई हमें देने वाला नहीं है। आप दो, नहीं तो हालत खराब है। जितनी ज्यादा बिजली मिलेगी उतनी ही हमारी क्षमता बढ़ेगी। अगर आप हमारा उत्थान चाहते हैं तो बिजली का उत्पादन बढ़ाइये और इस सैक्टर को प्रायुरिटी दीजिये और प्लानिंग कमीशन इसको प्राथमिकता दे। जितनी बिजली बढ़ेगी उतनी हमारी उन्नति होगी। साथ ही जो अधिकारी सामान खरीदने में गड़बड़ करते हैं और करन्ट की तरह तेज दौड़ते हैं इनको भी आप रोकिये। भाव कितने बढ़ गये और आपने किस हिसाब से 1 का 5 कर दिया इसको जरा हमें समझाओ। एक करोड़ की जगह 8, 10 करोड़ लगाकर हमारे जिले का प्रोजेक्ट पूरा होगा। जो आपने 5 ही क्यों किया इसका ब्रेक-अप आप हमें समझा दीजिए।

श्री बलबीर सिंह (शहडोल) : मान्यवर, मंत्री जी जो संशोधन विधेयक लाये हैं इसका मैं समर्थन करता हूं। जैसा डागा जी ने कहा, हम भी ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और जो 20 सूत्री प्रोग्राम में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को हम रियायती दर पर बिजली देंगे, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उनको बिजली नहीं मिल पाती है। जो आर०ई० सी० की योजना है, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना में ही पूरी हो जानी चाहिए थी, हम लोग दौरा करते हैं तो पाते हैं कि लिस्ट वहीं की वहीं है, आगे नहीं बढ़ी हैं। चाहे कम्पोनेंट हो या आई०टी०डी०पी० की उपयोजनाएं हैं उनके अन्तर्गत इन वर्गों को 20 सूत्री कार्यक्रम में बिजली देनी चाहिये। हमारे शहडोल जिले में प्रधान मंत्री ने 1981 में संजय सुपर थर्मल पावर प्लान्ट 1100 मेगावाट का शिलान्यास किया। लेकिन फौरेस्ट राज्य सूची से हटकर समवर्ती सूची में आ रहा है इसकी वजह से जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं चाहे वह सिंचाई के हों या बिजली के हों उन सबमें रुकावट पड़ रही है। पर्यावरण विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी, मध्य प्रदेश शासन ने अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन कृषि मंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्लान में 13 सौ हैक्टर में पेड़-पौधे आते हैं, लेकिन वह भी अच्छे पेड़ नहीं हैं। आप इसकी भी प्रशासकीय स्वीकृति दे दें ताकि इसका काम आगे बढ़ सके। इसका एग्रीमैंट हो गया है, कांट्रेक्टर्स आ गए हैं, वहां पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसमें कोई काम चल नहीं रहा है। इसलिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा मध्यप्रदेश तो सारा जंगल है, जितनी भी सिंचाई की योजनाएं हैं या एन०टी०पी०सी० की योजनायें हैं, उनमें इसके कारण बड़ी बाधायें आती है। इसलिए इसको प्रशासकीय स्वीकृति मिल जानी चाहिए।

अभी ऊर्जा विभाग की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक हुई थी, हमने अखबारों में पढ़ा है कि आप इसे स्टेट सब्जैक्ट न मानकर सेंट्रल सब्जैक्ट में ला रहे हैं। इसका हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो आप किसानों के लिए घोषणायें करते हैं, चाहे किसान ड्राई फार्मिंग कर रहे हैं, उसको सिंचाई की सुविधायें तो दी जा रही हैं,

[श्री दलबीर सिंह]

उनको खाद का नुकसान हो सकता है, आप उनको बिजली नहीं दे पाते हैं। जो छोटे उद्योग-धंधे लगाते हैं, उनको भी आप बिजली नहीं दे पाते हैं। आपकी घोषणायें पहले हो जाती हैं, चाहे किसान रबी की फसल बोता है या खरीफ की फसल बोता है, वह शिक्षित होता नहीं है, लेकिन आपके आश्वासन पर इस आशा से फसल बोता है कि आप उसे बिजली देंगे, लेकिन बिजली न मिलने से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आप इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।

जहां तक ट्रांस्फार्मर या मीटर का सवाल है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि मीटर का पैसा तो किसान को देना ही होगा, नहीं तो उसकी लाइन कट जाएगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता। मेरा निवेदन है कि आप टैक्नीशियन रखें और इनकी जांच करायें। खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिये। जो भी उनके लिये योजनायें है चाहे छोटी स्माल स्केल इंडस्ट्री की हों या उनको 3, 4 हजार की राशि देकर विद्युत प्रदाय करने की योजना हो, आप उनको दीजिये। लेकिन इसमें आप बहुत पीछे हैं। जहां-तहां आज लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है।

हमारे रायगढ़ जिले में मांड एक प्रोजेक्ट है, यह गुजरात के कोलोबोरेशन से बनने जा रहा हैं। आपके पास इसकी रिपोर्ट आई है या नहीं? सिंगरौली 3 हजार मेगावाट का है, बांधों का फाउंडेशन स्टोन हो चुका हैं। इतनी सारी स्कीमें वहां हैं। इस मामले में हम नहीं कह सकते कि मध्यप्रदेश सरकार, राष्ट्रीय बोर्ड जो हमारे कनैक्टेड राज्यों के विद्युत प्रदाय के हैं, उनसे ज्यादा पीछे है लेकिन इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। मध्यप्रदेश की स्टेट में चाहे राशि की कमी हो या और भी समस्यायें हों, उनकी ओर आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।

मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन पुनः यही दोहराना चाहूंगा कि जो भी योजनायें हैं, चाहे कम्पोनेन्ट प्लान को, आपने हरिजन आदिवासियों को 20-प्वाइंट प्रोग्राम में इतना महत्व दिया, लेकिन उसका लाभ लोगों को इसलिए नहीं मिल पाता है कि उनके नाम से दूसरे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। मेरा निवेदन यही है कि जो भी आपकी घोषणायें हुई हैं, उनका पालन होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ जो आपका विद्युत प्रदाय संशोधन विधेयक पेश हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं। यहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर उपस्थित हैं, मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि जो हमारा 13 सौ हैक्टर क्षेत्र में जंगल है, उसमें जो संजय सुपर थर्मल प्लान की योजना चल रही है, उसको वह स्वीकृति अवश्य दें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री चिरदा राम फूलवारिया (जालोर): सभापति महोदय, बिजली के लिए मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में बिजली की बड़ी समस्या है, आप राजस्थान में इसका प्रबन्ध करवायें। राजस्थान में बिजली के साथ पेय-जल की भी समस्या है। बिजली ठप्प हो जाती है तो पेय-जल की भी समस्या खड़ी हो जाती है। काश्तकारों को कम बिजली मिलने से भी काफी हानि होती है। हमारे राजस्थान की जमीन सोना उगलने वाली जमीन है। मगर बिजली न मिलने के कारण सिंचाई नहीं हो पाती और फसल जल जाती है। किसान मंहगा बीज और मंहगा खाद इस्तेमाल करता है, लेकिन बिजली न मिलने से उसका बोया हुआ धान खत्म हो जाता है और उसका बहुत नुकसान होता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर-सिरोही की जमीन सोना उगलने वाली है। वहां पर राजस्थान में सब से ज्यादा कुएं हैं। मगर काश्तकार बिजली के बारे में बहुत परेशान हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हर एक पंचायत समिति से तीन साल का हिसाब-किताब मांगा है कि वहां पर कितना विकास हुआ है, कितना कर्जा दिया गया है, आदि। मैं 20-सूत्री कार्यक्रम की प्रगति का पता लगाने के लिए ट्यूर पर

गया था, तो मैंने देखा कि हर एक क्षेत्र में सबसे पहली मांग बिजली की होती है। बिजली की सप्लाई तीन, चार या पांच घंटे तक होती है, जबकि मिनिमम चार्ज 12 घंटे का लिया जाता है।

बिजली न होने से टेलीफोन ठप्प हो जाते हैं। उसमें सरकार और व्यापारियों दोनों का घाटा है। बिजली के बगैर उद्योग भी ठप्प हो जाते हैं। बिजली उपलब्ध न होने के कारण उद्योग और खेती में लाखों करोड़ों रुपए की हानि होती है।

हमारा जिला जालौर-सिरोही बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन बिजली न होने के कारण वे इसके लिए तैयार नहीं होते। वहां पर उद्योग-धंधे न होने की वजह से गरीब लोगों को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। अगर वहां पर उद्योग लग जाएं, तो लोगों को वहीं काम मिल जाएगा।

प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और पिछड़ी जातियों के मुहल्लों में पेय-जल और बिजली देना बहुत जरूरी है। लेकिन उन लोगों के मुहल्लों में एक बिजली का बल्ब लगाकर कह दिया जाता है कि गांव को इलैक्ट्रिफाइड कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के गांवों में बिजली उपलब्ध की जानी चाहिए।

बिजली बोर्डों में बहुत भ्रष्टाचार है। इसके अलावा काश्तकारों के साथ वहां पर बदतमीजी का व्यवहार किया जाता है। लाइनमैन, जे०ई० और ए०ई०उन लोगों के साथ सीधे मुंह बात नहीं करते। बिजली बोर्ड एक व्यापारिक संस्थान है। उसमें काम करने वाले लोगों को काश्तकारों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। काश्तकार भय के कारण जे०ई० और ए०ई० से इस बात की शिकायत नहीं करते हैं। मंत्री महोदय को इस स्थिति में सुधार करना चाहिए।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन बातों पर विचार करेंगे और इनका जवाब देंगे।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Madam Chairman, the capacity utilisation of all electricity generating units in all the three sectors was up to 56 per cent but unfortunately it has gone down to 48 per cent. Now we are struggling hard to go up to 52 per cent. I want to know from the hon. Minister how it has happened ? When we had gone up, how is it that we have come down ? Moreover, the transmission loss and pilferage charges are about 21 per cent to 23 per cent. That is a big drain on our economy. We are losing crores of rupees not only in cash but also in terms of production—in industrial, agricultural and other sectors. Huge wastage of electricity is there. Unfortunately, this Ministry has got no overriding powers on States, though the States are guilty. In 1983, Telugu Desam government assumed power in Andhra Pradesh and immediately they reduced the retirement age of all its employees from 58 years to 55 years. The result is that in Electricity Board also not only the persons famous in India but world famous engineers also have been thrown out and the State which had surplus power and which was boasting that it was in a position to sell electricity worth Rs. 400 crores every year to the neighbouring States, has become a deficit State. There was shortage of power in that State and hence they had to adhere to power cut. So, I want to know from the hon. Minister as to how he is going to correct the erring States.

In Bihar, the capacity utilisation is not even 30 per cent. Though the power stations there are set up only at the coal pitheads, they are only at a distance of stone's throw, even then their performance is very poor. Every time we are just discussing these things in this House and the Minister goes on giving some answer, but what control has he actually got over the States ? The only control he has got is to invite the Electricity Ministers, the Chairmen of the Electricity Boards and others to Delhi once in a year and discuss the problems with them. The problems are discussed but they are not solved and there is no improvement at all. They are absolutely callous. It is a sheer

[Shri M. Ram Gopal Reddy]

wastage of national exchequer. The poor man's money is being wasted. In several places, the electricity lines are almost touching the ground. In my own district some cattle died recently because of such lines. So, I want to know from the hon. Minister whether the Government has got any supervisory powers over such negligence of the electricity staff ? There are so many deaths, not only of cattle but sometimes of human beings also who are working in the fields.

A lot of electricity is wasted on marriages and other functions. I want to know whether the Government has got any control over this wastage. Power must be utilised only for productive purposes.

As Mr. Daga has just now said, 75 per cent of industrial units are already sick and everyday precious money is invested in these units. Especially, the unemployed entre-preneurs are being advanced money from the nationalised banks as per the formula or the policy of the Prime Minister, but those entrepreneurs become almost bankrupt because of the non-availability of electricity to them. The Prime Minister has declared time and again that whenever electricity is supplied to any village, the harijan bastis, the tribals and the poor people must be given priority but several State Governments are not strictly adhering to this policy. In my own State, earlier whenever villages were electrified, priority was given to harijan bastis and other poor people but unfortunately that policy is not being pursued now.

What power has he with him to rectify those mistakes, to correct what any Chief Minister or the Government of a State has done ? It is a very serious thing, because the implementing authority is the State. If the States do not follow the guidelines, which are for the benefit of the people, the State and the country, what steps can the Government of India take to ensure that the money that is being pumped into the State is not going waste ? When the Telugu Desam Government came to power, immediately they reduced the allocations for the irrigation projects with the result that the Srisailam project could not be completed in time and it is still behind the schedule. I have written to the Prime Minister in the matter and she has advised the CEC to look into the matter. Even for petty small things they go on quarrelling and they go to the Supreme Court. I do not know why they are acting so foolishly, instead of investing money on irrigation so that the money already invested can give them some return.

16 hrs.

All the previous Chief Ministers of my State, Shri Sanjiva Reddy, Shri Sanjiviah, Shri Brahmananda Reddy and Shri Venga Rao have invested resources only on irrigation and electricity. That is why the State is very prosperous and we are producing more and more electricity and more and more foodgrains. Now this policy of 35 years is being reversed. That is our misfortune. What steps are the Ministers going to take to check this trend ?

He is now amending the 1948 Bill. He is a young man. I do not know whether he was born in that year or not. Even if he was born after our achievement of freedom, it is his good fortune to move an amendment to this Act. I want to know by what time he is going to make the Act up to date. He is a young Minister and I wish him well. In whichever Ministry he was there, he contributed his best to the functioning of that Ministry, which is a very good thing. I am glad that young people are coming forward and contributing their mite for the welfare of this country.

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : सभापति महोदय, यह बहुत छोटा सा संशोधन विधेयक सदन में उपस्थित किया गया है जोकि अधिकतम सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में है। पहले एक करोड़ की सीमा थी, स्वीकृति लेने के लिए, जिसको अब बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है। मेरा सुझाव है कि अभी सम्पूर्ण देश में बिजली की जो स्थिति है उसके बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कहा जाता है—पावर इज दि पावर आफ नेशन (शक्ति ही देश की शक्ति है)। लेकिन आज देश में किस प्रकार से इसका विकास हो रह

है उसके एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 1963 में बिहार में मुझे कुछ दिनों के लिए ऊर्जा विभाग का राज्य मंत्री होने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय केवल 17 परसेन्ट ट्रांससिशन लास था और जब वह बढ़कर 23 परसेन्ट हो गया तो हंगामा मच गया कि इतना ट्रांसमिशन लास क्यों हुआ। लेकिन आज ट्रांसमिशन लाश क्या है—यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे और क्या कभी इस बात की जड़ में जाने की कोशिश की गई है कि ट्रांसमिशन लास क्यों होता है। इसमें यह भी देखना चाहिए कि उसमें वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों का कितना सहयोग है।

आज कृषि विभाग द्वारा कहा जाता है कि कृषकों को बिजली की सुविधा देनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। कहा जाता है कि कृषकों को बिजली देने का समय निर्धारित कर दिया जाएगा। समय निर्धारित किया जाता है, रात बारह बजे के बाद, जबकि मजदूरों की व्यवस्था करना भी मुश्किल होता है। यह आपको पता ही होगा कि ट्रांसप्लानटेशन के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसलिए कृषकों की विद्युत की आपूर्ति करते वक्त इस बात का ख्याल रखने की आवश्यकता है।

मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि बिजली की सप्लाई बड़ी अनियमित रूप से होती है। एक जगह बिजली से सिंचाई का काम हो रहा है, सिंचाई का पानी थोड़ी दूर तक पहुंचा नहीं और बिजली गायब हो जाती है। बार-बार प्रयास करने के बावजूद भी वहां पानी पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन मजे की बात है कि आप बिजली की आपूर्ति करें या न करें, लेकिन किसानों की एम० जी० तय कर दी है कि उनसे महीने में 101 रु० लेना है। यहां तक कि आप बिजली के लिए उन को मीटर तक नहीं देते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको थोड़ा इस संबंध में बिचार करना चाहिए और कृषकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको दूर करना चाहिए। बिजली की जहां चोरी होती है, वहां उसको पकड़ना चाहिए। चोरी करने वाले को दण्ड दीजिए, यह नहीं कि चोरी करे कोई और उसका मुआवजा कोई भरे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : करे मूंछों वाला और पकड़ा जाए दाढ़ी वाला।

श्री डूमर लाल बैठा : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको इसका निदान करना चाहिए। एक तरफ बिजली के तार लगाये जा रहे हैं, खम्बे गाड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी चोरी हो रही है। यह सब काम मिली-भगत से होता है। ट्रांसमीटर की चोरी, ट्रांसमीटर का जलना, तारों की चोरी में सब काम बिजली विभाग के कर्मचारियों की मिली-भगत से होता है। ऐसे लोग कई बार पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ शक्ति से कार्यवाही नहीं की जाती है। इस पर आपको गम्भीरता से विचार कर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

अभी यहां पर अनुसूचित जाति और जन-जाति की बात आई तो कहा गया कि उनको टाप प्रायोरिटी दी जाती है। अभी राज्य मंत्री महोदय पटना गए थे। दुर्भाग्य से हमें उसकी सूचना देर से मिली, यदि उस वक्त मैं वहां रहता, तो सारी बातें मैं राज्य सरकार के सामने रखता। मुझे उम्मीद है कि यदि आप फिर कभी समय निकालें तो उसकी सूचना हमें समय से दें, ताकि हम लोग वहां पर उपस्थित रह सकें।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के गांवों में बिजली पहुंचाने के जो निर्देश आपने दिये हैं, वहां क्या होता है? गांव में एक-आध खंभा गाड़ कर एक-दो लट्टू लगा देते हैं और कह देते हैं कि गांव का बिजलीकरण हो गया। आप जब चाहें एक-दो गांवों का मुआएना कीजिये, वहां लिस्ट में तो दे देते हैं कि इतने गांवों में बिजली दे दी गई, लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब आप मुआयना करेंगे तो आपको स्वयं पता चल जायगा। एक बल्ब लटका दिया और कह दिया विद्युतीकरण हो गया। इसके बारे में आप को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो।

[श्री डूमरलाल बैठा]

हमारे यहां पूर्णिया जिले को और बंगाल के कुछ भाग को भूटान के चूखा प्रोजेक्ट से बिजली देने की बात कही गई थी। यह काम अब तक पूरा हो जाना चाहिये था, लेकिन मैं नहीं जानता कि किस वजह से उस प्रोजेक्ट का काम अभी तक नहीं हुआ है। ट्रांसमीशन का काम जो बिहार के उत्तर तथा पूर्वी भागों में हो जाना चाहिये था, पता नहीं किस कारण से नहीं हो पाया है, आप कृपा कर इसको देखें और शीघ्र पूरा करायें।

यह काम यदि राज्य सरकारों के हाथ में रहेगा तो इस पर आप का पूरा नियन्त्रण नहीं हो पायेगा और जब नियन्त्रण नहीं होगा तो यदि आप कुछ करना चाहेंगे तो नहीं कर पायेंगे। इस लिए मेरा सुझाव है कि एक नेशनल ग्रिड बनाइये और यदि इसके लिए आप को संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो अवश्य कीजिये। देश की सम्पूर्ण बिजली का टेक-ओवर कीजिये और नेशनल ग्रिड बनाइये, इससे बिजली की स्थिति में सुधार होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि एक कम्प्रीहैन्सिव बिल लाइये जिसमें इन सब बातों का समावेश हो सके।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेअरमैन साहब, जहां तक पजाब की बिजली का ताल्लुक है, वहां हम टूरोरिस्ट लोगों से इतना तंग नहीं थे, जितना बिजली से तंग थे। मेरा गांव डालिया है, तहसील बिनय नगर, जिला गुरदासपुर है—मैं जब भी वहां जाता हूं तो देखता हूं कि पटियाला से हुक्म आता है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली बन्द रहेगी। आपने बिजली देकर लोगों की आदत तो बिगाड़ दी, अब बिजली नहीं देते हैं तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है, सब शिकायत करते हैं कि गर्मी में मर गये। पहले बिजली नहीं होती थी, तब भी लोग खेतों में काम करते थे, लेकिन आज बिजली आ गई है तो बगैर बिजली के काम नहीं हो सकता।

इसके लिए मैं आपके अहलकारों को क्या दोष दूं। हर आदमी चुपचाप बगैर कुछ काम किये रोटी खाना चाहता है। मैं जब भी गांव जाता हूं—बच्चे कहते हैं कि दो रात से बिजली नहीं आई है और मैं कह देता हू, ठीक है, उनको बोल दूंगा। हमारे यहां हरिजनों की बस्तियों की प्राबलम नहीं है, हमने वहां लड़ाई करके सबको जमीनें दिलाई हैं। यहां जो नुमाइन्दे आज बोल रहे हैं, उनको चाहिये था कि जमीन लेकर उनको देते, इसके लिये उनको लड़ाई करनी थी। हमने लड़ाई की है और कोई आदमी हमें मार नहीं सकता था। हमें इसकी फिक्र नहीं थी कि कोई आदमी मार देगा क्योंकि हम लड़ाई करते थे। तो मैं एक बात तो यह कहना चाहूंगा कि फारमर्स को बिजली के रेट में कुछ रियायत होनी चाहिए और किसानों में हरिजन भी किसान है और छोटे जमींदार भी उनमें से कुछ हैं, उनके लिए आप बिजली का रेट कम रखें। मेरा कहना यह है कि अगर सड़कें नहीं होंगी या बिजली नहीं पहुंचेगी, तो कोई तरक्की नहीं हो सकती। अगर आपको तरक्की करनी है, तो इनको आपको मुहैया करना होगा।

अब बिजली की जो बात है, तो मैं आपको बता बूं कि गांव में जब हम जाते हैं, तो वहां जाते हुए डरते हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ 5 घंटे ही लोगों को बिजली मिलती है। जब पूछते हैं कि ऐसा क्यों है तो यह बताया जाता है कि ऊपर से ऐसा हुकुम आया है। यहां पर बस्तियों का नाम लिया जाता है लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर उनकी हालत को ठीक करना है, तो लैंड रिफार्म आपको करना होगा। एम०एल०एज इसको ठीक कर सकते हैं।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटे मुलाजिम जो रखे हुए हैं वे पांच बजे चले जाते हैं और उसके बाद अगर बिजली बन्द हो जाती है, और टेलीफोन करते हैं तो यह कह दिया जाता है कि वे पांच बजे तक ड्यूटी पर थे और अब चले गए हैं। आप दो आदमी वहां पर परमानेन्टली क्यों नहीं रखते हैं क्योंकि अगर रात को बिजली खराब हो जाए, तो वे ठीक करवा दें।

बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गरीब

फारमर्स के लिए बिजली का रेट कम होना चाहिए और जैसाकि मैंने पहले कहा कि बिजली का और सड़क का अगर अच्छा इन्तजाम हो जाएगा, तो सारा सिलसिला ठीक हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती कृष्णा शाही (बेगूसराय): सभापति महोदय, सदन में विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक, 1984 जो विचार के लिए प्रस्तुत है, उसके समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं।

आप सभी जानते हैं कि राज्यों में जो राज्य विद्युत बोर्ड हैं, उनके द्वारा जो बिजली सम्बन्धी कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं, वे संतोषजनक नहीं हैं। यद्यपि यह राज्य का विषय है परन्तु फिर भी इसके बारे में कुछ कहना हमारी मजबूरी है क्योंकि सरकार हमारी है और अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की स्थिति है, वह बहुत दयनीय है और बड़ी चिन्ता का विषय है। बिजली बोर्ड का जो प्रशासन है, वहां काम करने वालों का दृष्टिकोण जो है, वह विकासोन्मुख न होकर बिल्कुल संकुचित सा हो गया है और जब बिजली बोर्डों की स्वायत्तता की बात देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वे खुद एक राज्य हो गए हैं।

विधेयक के मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में एक करोड़ रुपये के स्थान पर जो 5 करोड़ रुपये रखा गया है, उसका समर्थन तो मैं जरूर करती हूं लेकिन जो बिजली बोर्डों की स्थिति है, वह व्हाइट एलीफेन्ट की सी स्थिति है। उनका उद्देश्य यह था कि कृषि के लिए और उद्योगों के लिए अधिक से अधिक बिजली लोगों को दें लेकिन सभापति महोदया, आप भी गई होंगी और हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं और वहां की जो वस्तु-स्थिति है, उसकी जानकारी कराना हमारा कर्तव्य है। 7-8 दिन के दौरे के दर्म्यान हमको एक दिन भी ऐसा नहीं मिला जहां किसानों को घंटे भर के लिए भी बिजली मिलती हो। इंस्पेक्शन बंगलों में हम जाते हैं। वहां भी बिजली नहीं होती है। सबसे दुखद स्थिति यह है कि अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों तक में बिजली नहीं होती है। इन दोनों जगहों पर तो बिजली रहना अत्यन्त आवश्यक है। अस्पतालों में बिजली के अभाव में मरीजों की क्या स्थिति होती होगी, स्टेशनों पर यात्रियों के चढ़ने-उतरने पर उनकी जान को खतरा रहता होगा। ग्रामीण इलाकों में जहां पर सिंचाई के लिए बिजली देने की बात होती है, वहां पर बिजली नहीं मिल पाती है। स्टेट ट्यूबवैल के नाले बने होते हैं। कनेक्शन के अभाव में, ट्रांसफोरमर के अभाव में, दो-दो वर्ष तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। बिजली और पानी पर ही किसान की आर्थिक स्थिति निर्भर है। किसान इससे वंचित रहता है।

दूसरी बात यह है कि ट्रांस्फोरमर्स का रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है। उससे किसान की समस्या बहुत गहरी हो गई है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से संक्षेप में कहना चाहूंगी कि वे इन सब बातों को देखें। यह ठीक है कि इन बातों को यहां नहीं लाया जाए लेकिन हमारा कर्त्तव्य है कि इन बातों की ओर हम मंत्री जी का ध्यान दिलाएं।

भारत सरकार के द्वारा बिजली बोर्डों को पैसा दिया जाता है। बिजली बोर्डों को सिर्फ निदेश देने से ही काम नहीं चलेगा, उन्हें आदेश भी देने की जरूरत पड़ती है। अगर उसके लिए विधान में संशोधन करना जरूरी हो तो वह भी इस सदन में किया जाए लेकिन बिजली बोर्डों के उपक्रमों को क्रमिक किया जाए। सारे देश के बिजली बोर्डों के लिए एक नियम बनाने चाहिएं। अलग-अलग बिजली बोर्ड अपने-अपने नियमों के द्वारा चलाए जाते हैं। इससे किसानों को लाभ नहीं होता है, उद्योगपतियों को लाभ नहीं होता है। छोटे-छोटे जो स्व-रोजगार चलाए जा रहे हैं वे उनके चलाने वाले भी प्रताड़ित होते हैं। इसलिए दो-तीन बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो यह है कि बिजली बोर्डों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। दूसरे इनका टेक ओवर किया जाए, यह हमारा सुझाव है।

अभी माननीय मंत्री जी हमारे प्रदेश में गए

[श्रीमती कृष्णा साही]

थे। इनकी काम करने की बड़ी इच्छा है। ये बड़े उत्साही भी है। इन्होंने भी वहां पाया होगा विद्युत बोर्डों को जो आर०ई०सी० के पैसे दिए गए थे उनका करोड़ों-करोड़ों में डाइवर्शन कर दिया गया और उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का डाइवर्शन किया गया है। वस्तुस्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है इसकी मंत्री महोदय को वहां जाने के बाद जानकारी हुई होगी। लेकिन हम लोगों को भी इस बात की जानकारी मिली है कि आर०ई०सी० के 55 या 57 करोड़ रुपये का डाइवर्शन कर दिया गया है। यह मैंने सुना है।

दूसरी बात यह है कि बिजली बोर्डों की व्यवस्था के ऊपर बहुत खर्चा होता है। उनके पदाधिकारियों, अधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों की तनख्वाहों, टी०ए०, डी०ए० में कोई कमी नहीं है लेकिन बिजली की आपूर्ति में बहुत ही कमी रहती है। इसलिए मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि हमारे मंत्री जी और भारत सरकार इस चीज को देखे कि बिजली बोर्डों में कैसे सुधार आ सकता है, कैसे उन पर अंकुश लगाया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में किसानों की आर्थिक स्थिति इसी बिजली के उत्पादन पर निर्भर करती है।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देती हूं कि मुझे इस पर बोलने का समय दिया गया और मैं मंत्री महोदय से यह अपेक्षा करती हूं कि वे पुनः हमारे राज्य में अवश्य जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करके देखे कि क्या वास्तविकता हैं और किस स्थिति में वहां लोग रहते हैं।

मिनिमम गारन्टी की जो बात उठी है, श्रीमन् मैं कहूंगी कि जब बिजली का मीटर नहीं है, बिजली ही नहीं है तो फिर किसानों से मिनिमम गारन्टी कैसे ली जाती है। इसको बन्द किया जाए। यह उनसे नहीं लिया जाए।

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदया, यह जो राज्य मंत्री जी ने बिल पेश किया है इसका एक सीमित उद्देश्य है। जो पांच करोड़ की सीमा तक की स्कीमें होंगी उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही अनुमति दे सकेंगे। यह एक स्वागत योग्य पग है। अब तक अनुमति प्राप्त करने में जो समय खर्च होता था वह अब बचेगा। अब पांच करोड़ तक की स्कीमें जल्दी चालू हो जाएंगी। इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

यह बिजली का बिल है और बिजली की चर्चा हो रही है। बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। बिजली विकास का प्राण है, बिजली प्रगति है, बिजली समाजवाद है, सब कुछ है। इस समय बिजली ही कृषि और उद्योग के उत्पादन के लिए, देश के विकास के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए मूलभूत पदार्थ है। इसलिए, बिजली की चर्चा में कुछ-न-कुछ सुझाव दिए बिना नहीं रहा जा सकता। बिजली के अधिक-से-अधिक उत्पादन के लिए जो आपने कदम उठाए हैं, वह स्वागत योग्य हैं। राज्य की विद्युत परिषदों पर अगर केन्द्र का नियन्त्रण है तो यह अवश्य होना चाहिए। इतना रुपया और मशीनरी लगने के बाद भी कुछ परिणाम सामने नजर नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि राज्य की विद्युत परिषदों का विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए। हालांकि, योजना आयोग द्वारा ही सहायता दी जाती है और केन्द्र सरकार द्वारा नीति निर्धारित की जाती है। अगर विकेन्द्रीकरण हो जायेगा तो इससे उत्पादन भी अधिक होगा और सफेद हाथी के रूप में जो ये विशाल संस्थान हैं, उनसे कुछ लाभ हो सकेगा। उद्योग, कृषि और उपभोक्ता के क्षेत्र में बिजली की काफी मांग हो रही है। निःसन्देह पहली योजना से लेकर छठी योजना तक बिजली का उत्पादन इस देश में बढ़ा है। इसके बढ़ने के कारण ही उद्योग और कृषि के क्षेत्र में प्रगति हुई है। मैंने बहुत पहले सुझाव दिया था कि जितनी बिजली की मांग है, उतनी मात्रा में सरकारी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन करना सम्भव नहीं है इसलिए साथ-साथ समानान्तर रूप से प्राईवेट सैक्टर में भी बिजली उत्पादन करने के लाइसेन्स दिए जाएं। जिनको उद्योग का लाइसेन्स

दिया जाए, उनको साथ-साथ बिजली पैदा करने का भी लाईसेंस दिया जाए। उसके बाद जो बिजली बचे, उसे सरकार को देकर वितरित करवा दिया जाए। इससे पिछड़े क्षेत्रों में जो उद्योग नहीं लग पाते वह लग सकेंगे और औद्योगिक बिकास भी होगा। मिर्जापुर में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए मैं बिजली मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत दें कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहां नहरों और नलकूपों के लिए अधिक-से-अधिक बिजली देने की कृपा करें। हमारा क्षेत्र मिर्जापुर-भदोही कालीन उद्योग का क्षेत्र है। वहां पर हिन्दुस्तान में सबसे अधिक कालीन का उत्पादन होता है। वहां से कालीन का निर्यात होता है जिसकी वजह से कई करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। हम लोग बराबर मांग करते आ रहे हैं कि इस क्षेत्र के लिए चौबीसों घन्टे बिजली दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन भी दिया लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह उस क्षेत्र के लिए चौबीसों घन्टे बिजली दें जिससे क्षेत्र का और राष्ट्र का लाभ होगा और हम लोगों को भी संतोष प्राप्त होगा।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : सभापति महोदया, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं, सिर्फ दो-तीन बातें कहकर जल्दी से खत्म करूंगा। मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। यह जो अमेंडमेंट लाए है, इससे इनके आफिस का जो टैक्नीकल स्टाफ है, उसका कास हल्का हो जायेगा और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ वह तवज्जुह दे सकेंगे। क्योंकि जब तक हम इस देश में बिजली के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बनायेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। यह बात भी ठीक है कि चाहे छोटा प्रोजेक्ट बने या बड़ा प्रोजेक्ट बने, एक टैक्निकल आदमी को बराबर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसको फिजिबिलिटी देखनी होती है, उसकी कैपेसिटी देखनी पड़ती है और दूसरे पहलू देखने होते हैं। इसलिए हमारे मंत्री महोदय जो अमेंडमेंट ले कर आये हैं, वास्तव में प्रशंसनीय पग है और इससे स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को कुछ काम करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि अब वे एक करोड़ के स्थान पर पांच करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट्स का काम कर सकेंगी। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि वे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स अपना काम खुद नहीं करतीं। अब आपको उन्हें मोटीवेट करने के लिए प्रयत्न करने होंगे ताकि वे खुद काम करें। हमारे जम्मू कश्मीर में लद्दाख की तरफ ही कुछ छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, हमारी सरकार को उन की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहां पर यू०पी० के पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ वैसे इशारा तो किया गया है, परन्तु बड़े काम की तरफ तो आदमी जल्दी देख लेता है, लेकिन कोई आर्गेनाईजेशन छोटे काम की तरफ ध्यान नहीं देती। मवर ईवन डैवलपमेंट के लिए उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना जाहिए।

दूसरी बात मैं रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, जिसके लिए हमारी सरकार ने काफी रुपया दिया हैं और हर जगह हिन्दुस्तान भर में इसका प्रसार हुआ है। लेकिन वहां के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ने क्या किया है कि उस खर्चे से गांवों के बाहर जाकर अपने स्टेशन बना लिए हैं और गांवों को बिजली से नहीं जोड़ा है। गांवों में खम्बे तो लगे हैं लेकिन उनमें तारें नहीं लगी हैं। इस कारण गांवों के अन्दर गरीब आदमी अपने घर के लिए बिजली नहीं ले सकता। इसके अलावा यदि कहीं पर तारें ले भी जाई गई हैं तो छोटे यूनिटस या इंडस्ट्री चलाने के लिए ; जहां तीन फेस की लाइन की आवश्यकता होती है, वह उपलब्ध नहीं करवाई गई है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए हमारे नियमों के अन्दर कोई स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि सरकार की नीति का सही रूप से क्रियान्वयन किया जा सके तथा रूरल डैवलपमेंट हो सके। उस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए।

वैसे हमारी सरकार गरीबों के हित में कई काम कर चुकी है, यहां इंटीग्रेटिड डैवलपमेंट का कंसैप्ट

[श्री गिरधारीलाल डोगरा]

भी आया और हमारे मंत्री जी एक बिल भी ला रहे हैं, लेकिन यह कोआपरेटिव का काम तब तक नहीं कामयाब हो सकता जब तक कि आप रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन जो ठीक तरीके से अप-टू-डेट नहीं करेंगे ताकि उसका काश्तकारों के लिए हर किस्म से उपयोग हो सके। यदि वे कोई छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहें तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए जब तक रूरल इलैक्ट्राफिकेशन कम्पलीट नहीं होगा, गांवों के अन्दर बिजली नहीं जाएगी, हम उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। फिर चाहे हम कितने ही बिल यहां पास करवा लें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स आप ला रहे है, उनको जरा स्पीड अप करने पर जोर दिया जाए। उदाहरण के लिए हमारे राज्य में इस वक्त दो बड़े प्रोजैक्ट्स हैं—एक सलाल है और दूसरा किश्तवाड़ के पास दुलहस्ती में है। उनका काम तेजी से होना चाहिए। यदि ये दोनों प्रोजैक्ट कम्पलीट हो जाते हैं तो नार्दर्न इण्डिया में आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। इसी तरह बिजली के प्रोजैक्ट्स बनाते समय; हाइडल प्रोजैक्ट्स को बनाने पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। क्योंकि जहां-जहां हम राज्यों मे थर्मल प्रोजैक्ट्स बना रहे हैं, उसके कारण कितनी रेलगाड़ियां हमारे उस काम में लगी रहती हैं ताकि उनको समय पर कोयला पहुंचाया जा सके, उसके कारण कितने रेल के डब्बे व्यस्त रहते हैं और दूसरी गाड़ियां लेट हो जाती हैं, उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन अवरुद्ध हो जाता है। यदि हमें कहीं थर्मल पावर स्टेशन लगाना भी हो तो थर्मल सुपर स्टेशन्स बनाइये जो कि पिटहैड के नजदीक हों। बजाए इसके कि कोयला ढोने के लिए हम प्रबन्ध करें, गाड़ियां लगायें, हम उसको बिजली दें। उसमें शुरू में लॉस जरूर होंगे, लेकिन बाद में वह हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं और हमारी कम्यूनिकेशन को भी रिलीफ मिलेगा। रावी और चिनाब पर हाईडल प्रोजैक्ट्स बनाने के साथ यदि हम यू०पी० या हिमाचल प्रदेश में जा कर जितने हाइडल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उनको हारवेस्ट करें तो निश्चित तौर पर समूचे नौर्दर्न और ईस्टर्न इण्डिया से बिजली की कमी को दूर कर सकते हैं, बंगाल की बिजली की कमी को दूर कर सकते हैं, उसकी तरफ आपकी तवज्जह जानी चाहिए। इसके साथ-साथ बड़े इमैंजिनेशन वाले टैक्नोक्रेटस को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए, जैसे पहले पंजाब में मिस्टर गिल हुआ करते थे, आजकल शायद वे कहीं पर एडवाइजर हैं, इस समय तो वे काफी बूढ़े हो चुके हैं, मगर उन जैसे लोगों को यदि इसमें शामिल किया जाए तो निश्चित तौर पर हमें काफी लाभ हो सकता है। छोटे प्रोजैक्ट्स बनाकर हम अपने रिसोर्सेज को जाया करते हैं और उसके साथ कोयले के रिसोर्सेज भी जाया करते हैं, कई दूसरी बाधाएं हमारे सामने आती हैं, उन सबसे बचा जा सकता है। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे सुझावों पर तवज्जह दी जाए, यह बिल लाकर आपने बहुत अच्छा काम किया है और इसके कारण हमें अपने प्रयत्नों में मदद मिलेगी, आपका स्टाफ अच्छा काम कर सकेगा और स्टेट्स अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकेंगी।

प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जैसा माननीय बैठा जी ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार इसको अपने नियंत्रण में ले ले, यह बहुत आवश्यक है। श्रीमती कृष्णा साही ने बताया कि देहातों में बिजली नहीं मिलती है। देहात क्या, हमारे बिहार में तो बड़े-बड़े शहरों में जैसे पटना, छपरा, रांची, मुजफ्फरपुर में, जितने भी मुख्यालय हैं, वहीं भी बिजली नहीं मिलती है। छपरा जो कमिश्नरी हैडक्वार्टर है, जहां से मैं आता हूं, वहां पर 48 में से 36 घंटे बिजली नहीं मिलती है जिस के चलते रोशनी और पंखे की बात क्या, लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता। शहर में घूमना मुश्किल है। सिंचाई, कल-कारखाने और उद्योग धंधे सब का हाल क्या है, मेरे संसदीय क्षेत्र में नैनी गांव में 25, 30 साल से बिजली है लेकिन वहां का ट्रांसफार्मर खराब है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है। कई बार मैंने शिकायत की, लेकिन हमारी शिकायत पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। नैनी

गांव में ही हरिजन टोली में बिजली लगाने की बात है, लेकिन वहां पर एक ऐसे जड़ मुखिया हैं जिसके चलते हरिजन बस्ती में बिजली नहीं लग पाती है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आप सारे भारत में बिजली संकट को देखें और खासकर बिहार में जो पेय जल की समस्या है उसको दूर करने की चेष्टा करें। इससे हम आपका आभार मानेंगे, हमको पानी पीने का मिल सके, बिजली का इतना इंतजाम कर दें जिससे सिंचाई, कल-कारखाने और पेय जल मिल सके जिससे अपने संसदीय क्षेत्र में गालियां सुनने की नौबत न आये।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस संशोधन बिल की चर्चा में भाग लिया उनका आभारी हूं। उन्होंने जो इस बिल से संबंधित विचार प्रकट किये और विद्युत व्यवस्था को बेहतर करमें, सेवाओं को अच्छा करने के लिये सुझाव दिये उसके लिए भी आभारी हूं।

आमतौर से सभी माननीय सदस्यों ने राज्य बिजली परिषदों के सम्बन्ध में जो ज्यादा बातें कहीं और उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, यह बात सही है कि राज्य के जो बिजली बोर्ड हैं वह प्रशासनिक दृष्टि से राज्य सरकार के ही अन्तर्गत आते हैं, हम उनसे समन्वय जरूर स्थापित करने की कोशिश करते हैं, समय-समय पर निर्देश भी देते हैं, उनको एक वृहद् नीति के अन्तर्गत गाइडलाइन्स भी देते हैं। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से वह राज्य सरकार के अधीन हैं और वह ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन चूंकि माननीय सदस्यों ने ऐसी समस्याओं का जिक्र किया है जिससे साधारण जन प्रभावित होते हैं इसलिये जो भावनायें व्यक्त की हैं, जिस-जिस राज्य और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के सम्बन्ध में बातें कही हैं, मैं उनसे सहमत हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वासन दूंगा कि उनकी भावनाओं से राज्य विद्युत परिषदों और स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को अवगत करा दिया जायेगा और यह भी कि जो कमियां, त्रुटियां माननीय सदस्यों ने बताई हैं, उन को वह दूर करने की कोशिश करें और अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करें।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, हमारे कई माननीय सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में कहा भी है कि आज इत्तिफाक से इस सदन में हमारे विपक्ष के साथी मौजूद नहीं है। आमतौर से राज्य सरकारों के अधिकारों के बारे में शिकायत की जाती है। हमारे डागा साहब ने दूसरी शिकायत की है और उन्होंने कहा कि नये मंत्री हैं और पुराने बिल के साथ हैं, इसमें टुकड़ों में क्यों संशोधन कर रहे हैं? मैं यह समझता हूं कि नये होने का मतलब यह नहीं कि हर पुरानी चीज रद्द कर दी जाये। नई चीज और नये मंत्री का मतलब तो यह है कि हमारा ज्यादा जोश हो, लेकिन जो पुराने हैं, उनके तजुर्बे से हटकर कोशिश करेंगे तो शायद ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसमें नुकसान की संभावना ज्यादा हो जाती हैं। इसलिये हम इस बात की आवश्यकता नहीं समझते कि इस पुराने कानून को एकदम बदल दिया जाये। हां, इसके प्रावधानों को लागू करते समय अगर बिजली के विकास और प्रगति में कोई बाधा आती है और उनको दूर करने के लिए कोई संशोधन आवश्यक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम यह संशोधन लेकर आए हैं। हमने यह महसूस किया कि राज्य सरकारों को जो यह अधिकार प्राप्त है कि एक करोड़ या उससे कम की योजनाओं की टैक्नीकल फिजिब्लिटी के लिए सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथौरिटी के पास नहीं आना पड़ता है, वह पुराना प्रावधान है, हम चाहते हैं कि क्योंकि बहुत सी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं इस लिए इस 1 करोड़ की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया जाये।

एक तरफ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि इसका आधार क्या है कि 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया जाये। कीमतें तो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और वह 5 करोड़ की राशि को भी पूरा नहीं बताते, लेकिन दूसरी तरफ बार-बार यह शिकायत की गई कि वहां का प्रशासन ठीक नहीं है, वहां का इन्तजाम ठीक नहीं है।

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

पनिका जी ने कहा कि जैसे ऊर्जा मंत्रालय की परामर्श दात्री समिति में सभी सदस्यों की राय थी कि प्रशासन को ठीक करने की कोशिश की जाये, इसको केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले, तो हम इन दोनों बातों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसलिए कि परामर्शदात्री समिति की उस बैठक के बाद सभी प्रदेशों के ऊर्जा मन्त्रियों की भी बैठक हुई और उसमें भी, जो ऊर्जा के सम्बन्ध में जो समिति बनाई गई थी, जिसने अपनी सिफारिशें दी है, उन सिफारिशों पर भी चर्चा हुई। यह भी वास्तविकता है कि इस मामले में केन्द्र का अधिकार क्षेत्र ज्यादा बढ़ाये जाने का राज्य सरकारों की ओर से विरोध किया गया। इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब एक तरफ कहा जाये कि 5 करोड़ की राशि भी कम है इसको और बढ़ाया जाना चाहिये, मैं तो यह कहूंगा 5 करोड़ की राशि कर देने से निश्चित ही प्रदेशों के विद्युत परिषदों के अधिकार बढ़ेंगे। दूसरी तरफ यह भी राय दी जा रही है कि उनका इन्तजाम अच्छा न होने के कारण केन्द्रीय सरकार इस से अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाये, हम दोनों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आमतौर से जो उद्देश्य है, लक्ष्य है कि बिजली का विकास करेंगे उसको विकास के कार्यों में इस्तेमाल करें जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर ठीक से बिजली पहुंचाने को सुनिश्चित करेंगे उन सबको दृष्टि से रखते हुए हम ने यह मुनासिब समझा, कि और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि राज्य विद्युत परिषदों की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से भी ज्ञापन दिये गये हैं, जिसमें कहा गया है कि इस धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाये।

इस बारे में काफी विचार-विमर्श करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया जाए। यहां पर यह भी कहा गया कि यह रकम कम है। इसके अन्तर्गत सिर्फ बिजली उत्पादन के कारखाने लगाने के कास ही नहीं हैं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के काम भी हैं। हमारा लक्ष्य योजनाबद्ध विकास है। हम चाहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाए बगैर राज्य सरकारें उसमें पैसा लगाने लगें। लेकिन राज्य सरकारों को विकास के काम करने की छूट हो, इसके लिए रकम को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

माननीय सदस्यों ने कई बातें पूछी हैं। जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, हमारी मजबूरी है कि हम अपने निगम के द्वारा राज्य सरकारों को रुपया उपलब्ध कराते हैं। वह काम हम अपने अधिकारियों के जरिये नहीं कराते हैं। वह काम विद्युत परिषद कराती है और हम उनके साथ सम्पर्क बनाए रखते हैं। इस बारे में मैं पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में फिगर्ज दे चुका हूं। जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया हैं, मैं उन्हें ये फिगर्ज उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और हरिजन बस्तियों के बारे में फिगर्ज मैं बता देना चाहता हूं। 31 मई, 1984 तक 1,12,000 गांवों में से 33,241 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

श्री राम प्यारे पनिका : आप अपनी मशीनरी से यह जांच करवा लें कि स्टेट गवर्नमेंट्स से जो सूचना दी है, वह सही है या नहीं। देखा गया है कि एक खम्भा लग जाता है और कहा जाता है कि विद्युतीकरण हो गया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्री पनिका का सुगम सुझाव हमें स्वीकार है। हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि हम सभी जगह जा सकें, लेकिन हमारी कोशिश है कि विद्युत परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में जिन गांवों के नाम दिए गए हैं, हम वगैर पहले बताए यह देख सकें कि विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न क्षेत्रों के उन गांवों में किस प्रकार विद्युतीकरण किया गया है। मैंने बिहार का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन दो तीन दिन में बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो वहां की माननीय सदस्या से कहा कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके क्षेत्र के गांवों में भी गया और दूसरी जगहों में भी हम

जाते रहते हैं । श्री पनिका का सुझाव हमें स्वीकार है। वक्त की सीमा को देखते हुए हम इस बारे में ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास करेंगे ।

श्री बनवारी लाल बैरवा (टोंक) : ऐसा नहीं है कि ये सारे आंकड़े गलत हैं। लेकिन अनुसूचित जातियों की बस्तियों में जहां चार पांच खम्भों की कमी है, उसकी पूर्ति करा दी जाए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : पारेषण में जो नुकसान होता है—ट्रांसमिशन लासिज के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। मैं पूरी तरह सहमत हूं माननीय सदस्यों के साथ। जो फिगर्स है वह निश्चित ही ऐसी हैं जिन पर हमें चिन्ता होनी चाहिए। इस ओर राज्य सरकारों का ध्यान बार-बार हमारे वरिष्ठ मंत्री, ऊर्जा मंत्री जी और हम स्वयं दिलाते रहते हैं। हमारी तरफ से और सेन्ट्रल एलेक्ट्रिसिटी एथारिटी की तरफ से राज्य सरकारों और विद्युत परिषदों का ध्यान बार-बार दिलाया जा रहा है। उनसे यह कहा जाता है कि उनका यह काम है कि वह यह सुनिश्चित करें कि ये लासेज कम से कम हों। मैं समझता हूं कि कई एक राज्यों ने इस तरफ ध्यान दिया है और उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं जिससे हम यह उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये यह लासेज कम होंगे ।

ऐटामिक पावर के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने और खासतौर से राजस्थान के माननीय सदस्यों ने जिक्र किया । उन्होंने कहा कि यह साइंस ऐंड टेक्नालाजी विभाग से सम्बन्धित मामला है। मैं अवश्य उनकी भावना साइंस और टेक्नालाजी विभाग में हमारे जो सहयोगी राज्य मंत्री हैं उन तक पहुंचा दूंगा ।

दिल्ली के बारे में और राजस्थान के बारे में भी श्री वृद्धि चन्द्र जैन जी ने जिक्र किया। दिल्ली में चार दिन पहले हुए अन्धेरे की बात कही गई। हम लोग और हमारा पूरा मंत्रालय उस दिन जो घटना हुई उसके लिए चिन्तित है। हमें अफसोस है कि उस दिन ऐसी घटना हुई।

16.52 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

अभी तक हमारे विशेषज्ञ इसके कारणों का पता नहीं लगा सके। इसके लिए हमने एक चार सदस्यों की समिति श्री ए० एन० सिंह की अध्यक्षता में बनाई है। हम यह उम्मीद करते हैं कि वह न केवल उसके कारणों का पता लगाने में सफल होंगे बल्कि ऐसे सुझाव भी उस समिति की तरफ से आएंगे जिससे भविष्य में इस तरह से बिजली की कमी न हो सके।···(व्यवधान)··· सभी जगहों के लिए यह कोशिश होगी।

एक माननीय सदस्य : और जगहों के लिए क्या होगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : और जगहों के लिए आप जो हुक्म देंगे वह होगा। ऐग्रीकल्चर के बारे में एक बात कही गई थी किसानों को···

श्री हरि कृष्ण शास्त्री (फतेहपुर) : मान्यवर, निस्सन्देह आपकी तरफ से यह बात कही जाती है और आपके पत्रों में यह छपा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दस घंटे बिजली दी जाएगी। लेकिन तथ्य यह है कि केवल दो या तीन घंटे और वह भी रात में बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती है। दस घंटे के बजाय केवल तीन घंटे बिजली उनको मिलती हैं। कभी एक घंटे कभी दो या तीन घंटे और वह भी रात में उनको बिजली मिलती है। आपके अपने क्षेत्र में भी यह बात लागू होती है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह शिकायत माननीय सदस्यों की तरफ से अक्सर मिलती है। निश्चित ही अपने क्षेत्रों में वह जाते हैं और वहां की परिस्थिति देखते हैं, तभी यहां आकर उसका प्रतिबिम्ब रखते हैं और वह बताते हैं कि क्या स्थिति वहां पर है। माननीय सदस्यों की तरफ से यह बात आने के बाद हम प्रदेश सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाते हैं कि हमें आपने बताया था कि सात से दस घंटे बिजली दी जाती है लेकिन लोक सभा के माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इस तरफ आप ध्यान दीजिए और

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

सुनिश्चित कीजिए कि जितनी देर बिजली देने की बात कही जा रही है उतनी देर बिजली ग्रामीण क्षेत्रों को मिल सके। माननीय हरि कृष्ण शास्त्री जी ने इस तरफ जो ध्यान दिलाया है, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि जिन-जिन जगहों के बारे में आपने शिकायत की है उनके बारे में कल ही मैं प्रदेश सरकार का ध्यान दिलाऊंगा।

कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जिक्र किया गया, जैसे कहलगांव के बारे में बिहार के माननीय सदस्यों ने और माननीय बैठा जी ने जिक्र किया। लोफटक के बारे में भी माननीय सदस्यों ने पूछा है।···(व्यवधान)···आन्ध्र के बारे में भी आपने पूछा है।

लोकटक के बारे में तो हमें मिली सूचना के अनुसार हम यह उम्मीद करते हैं कि इस महीने के आखीर तक या अगले महीने तक उसमें जो टनेल को नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत का काम पूरा हो जायगा। और बहुत जल्दी पावर स्टेशन दोबारा शुरू हो जायेगा। इसी तरह से कहलगांव के सम्बन्ध में फाइनेंसियल असिस्टेंस टाइ-अप करने का काम हो चुका है, औपचारिकतायें रह गई हैं। जो स्टाफ पोस्ट किया गया है उसने अपना काम काफी हद तक शुरू कर दिया है।

इसके अतिरिक्त और जिन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया है उसकी सूचना माननीय सदस्यों को दिलवा दूंगा।

प्रो० सत्यदेव सिंह : किसी योजना के लिए यदि धनराशि दी जाती है उसका अगर सही उपयोग नहीं किया जाता है तो उसकी जांच आप करवा लें। राज्य विद्युत परिषद के अफसरों की गड़बड़ी के चलते जो गोलमाल होता है उसकी जांच होनी चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : प्रदेशीय सरकारों के साथ सम्पर्क बनाकर हम इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि जिस काम के लिए रुपया लिया गया है उसी पर उसको इस्तेमाल किया जाए और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त किया जाए। इसके बावजूद राज्य सरकारों को जो सांविधानिक अधिकार प्राप्त हैं उनके अन्तर्गत हमारी कठिनाई यह होती है कि हम उनके प्रशासनिक मामलों में नहीं जा सकते हैं। प्रो० सत्यदेव सिंह जी यदि कोई स्पष्ट शिकायत भेजेंगे तो वास्तविकता की जांच सेन्ट्रल एलेक्ट्रिसिटी एथारिटी के जरिए करवा ली जायेगी।

श्री बनवारी लाल बेरवा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में इस बरसात के दौरान वर्षा नहीं हुई है और बिजली का भी अभाव है जिसके कारण किसान खेतों में बीज तक नहीं डाल सके हैं। मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वहां पर अधिक बिजली की आपूर्ति कराई जाए ताकि किसान खेतों में बीज डाल सकें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह वास्तव में बड़ी परेशानी की बात है। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें इस बात की भी चिन्ता है कि केन्द्रीय सरकार ने जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाए हैं वहां से उस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी राज्यों का जो बिजली का हिस्सा है, वह उनको नहीं मिलता है। इसलिए जिन राज्यों में सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित हैं वहां की राज्य सरकारों से हम बार-बार निवेदन कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों को उनके हिस्से की बिजली दिलाने की जिम्मेदारी उनकी है। पड़ोसी राज्यों का जो भी हिस्सा है उसको दिलाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। और भी जहां कहीं से सम्भव हो सकेगा, हम आपकी कमी को पूरा कराने की कोशिश करेंगे।

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष जी, मैंने अपने भाषण में यह बताया था कि सेन्ट्रल एलेक्ट्रिसिटी एथारिटी बड़ी सफलतापूर्वक काम कर रही है और मैंने सुझाव दिया था कि उसको थोड़ी सी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और दे दें। इस सम्बन्ध में मंत्री जी का क्या विचार है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सेन्ट्रल एलेक्ट्रिसिटी

एथारिटी एक सक्षम संस्था है। छोटी लागत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी टेक्निकल फीजबिलिटी तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्वयं देख लें लेकिन जो वित्तीय व्यवस्था है उसके लिए तो योजना आयोग के पास जाना ही पड़ेगा। और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको वित्तीय व्यवस्था के लिए भी योजना आयोग के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो टेक्निकल मामले हैं उनके बारे में सारी एथारिटी सेन्ट्रल एलेक्ट्रिसिटी एथारिटी के पास है। फिर भी आपने जो सुझाव दिया है उसको नोट कर लिया गया है।

17 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Nair, you have already spoken. Are you speaking on behalf of the Opposition now ?

SHRI B.K. NAIR : Sir, what about my proposal for gas-based electricity generating plants for Tamil Nadu, Kerala and Karnataka ?

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : The proposal is surely under consideration and as far as I know, a Committee was set up for selection of the sites and everything is under consideration.

SHRI G. NARSIMHA REDDY (Adilabad) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, may I draw the attention of the Minister through you ? The REC allots funds for rural electrification in the districts. Recently when I attended a Panchayat Samithi Meeting, according to their statistics about 45 per cent of the villages are electrified. Later when I was speaking to the Sarpanch, it was revealed that though their villages were electrified, and poles and wires had been there for the last seven or eight months, electricity is yet to reach the villages. Moreover the wires were being robbed away. I just want to know whether the villages are really electrified through the funds allotted by the REC. There is no point in going on electrifying the villages by putting poles and wires when electricity does not flow into them. Instead, it is better for the REC to see that those villages for which funds were allotted, are fully electrified, not for name's sake but in real practice.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If there is no electricity, but only poles and wires, you and I are responsible for that. Before elections, we want the poles to be erected.

SHRI G. NARSIMHA BEDDY : It may be so in your State Sir, but not in mine.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : By electrification, does he mean to say that current should be there and not poles and other infrastructure ?

SHRI G. NARSIMHA REDDY : The hon. Minister has raised a wonderful problem for us. What is the definition of electrification ? I have been under the impression that electrification of villages means not only poles and wires but electricity should also reach the villages. If I am wrong, I may be corrected.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : The hon. member is absolutely right. My problem is that I am not responsible for distribution of electricity. I am looking after the Rural Electrification Corporation and my job is to see that the REC ensures adequate funds to the State Electricity Boards so that they are able to undertake the programme of rural electrification. The distribution of electricity, that is sending current to the villages is under the State Government, the State to which the hon. member belongs. He should exercise his influence with the State Electricity Board to see that in those villages where REC has allotted funds, electricity really reaches the consumers. We are giving directions to State Electricity Boards and we need the cooperation of the hon. member in this matter. I would also like to mention here that we in Government of India, have given directions to the State Government that by 1990, all villages should be electrified cent per cent and by 1995, energisation of pump sets with total capability should be achieved.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That the Bill further to amend the Electricity (Supply) Act, 1948, be taken into consideration."

The Motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up Clause by Clause consideration of the Bill.

The question is :

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the Minister may move that the Bill be passed.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The Motion was adopted.

17.05 hrs.

MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Rao Birendra Singh.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : I beg to move :*

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to co-operative societies with objects not confined to one State and serving the interests of members in more than one State, be taken into consideration.

Sir, this is a measure which has been long over-due. The Multi-Unit Societies Act was passed by Parliament in 1942. But after that, there has been a thinking that this was not adequate for the objectives in view. There has been a lot of thinking on this Bill, since 1965. The Administrative Reforms Commission constituted an expert group, and on the basis of the recommendations of that group, an Expert Committee was appointed in 1971. Even the Cabinet approved of a draft for the Bill in 1975 ; again in 1976 ; and then again in 1977.

The Bill was also introduced in 1977. A Joint Select Committee was constituted. But unfortunately, before the Joint Select Committee could submit its report after 15 sittings, Lok Sabha was dissolved, and the Bill lapsed.

This Bill has been thoroughly drafted, re-drafted and considered in various fora, in the meetings of the Ministers of Cooperatives and various other bodies. Now I have been able to come finally before this House with this comprehensive Bill.

The purpose of this Bill is to empower the Central Registrar to have powers of incorporating multi-State Cooperative Societies which have functions in more than one State. At present, we have about 150 multi-unit cooperative societies. Out of them, about 20 are national level cooperatives, and it is necessary that they should be controlled by a uniform Act. At present, under the Act of 1942, the multi-unit societies are registered in the States in which their headquarters are located. This Bill will enable us to exercise a proper control, and regulatory measures can be framed for all national level multi-State cooperative societies.

I request that this Bill should now be passed within this session, so that it does not

*Moved with the recommendation of the President.